

# GOSSNER EVANGELICAL – LUTHERAN CHURCH IN CHOTANAGPUR AND ASSAM

## GELC ARCHIVE

Signature: **GELC-A \_ 001 \_ 0005**

Classification:

Original File No.

### **Title**

Jeep document or Court Cases -1992

Volume:

Running from year: **1992** till year:

### **Content:**

- News Paper cutting Prabhat Khabar showing BJP's Vananchal plee's 16th sep. 1992 uprising of christian Association against DG's decision concerning land properties of the churches-28th sep. 1992 Prabhat Khabar .
- List of cort cases
- List of shops and areas leased out to persons and the rents A/C
- Ranchi COLLECTORATE ,NOTIFICATION (Urban land Ceiling Section)
- Pamplet by Assam Anchal (Tinsukia)Layman
- G.E.L.C.1 letter 23.06.1992-andhra Relief Fund
- Letter regarding some payment of pastor
- Letter for A/C opening in Canara Bank –Dir, BEL & Pramukh Adhayaksha SBI Doranda & UCO Bank intimation letters.
- K.S.S. Meeting 22-11992 Records
- Kalisha Sangh Meeting 1992 Dated 3.3.1992 Records.
- Board of Properties Minutes Dated 18.1.1992
- Meeting of the Board of Theological Education 19.1.1992 Records
- Medical Board Meeting G.E.L.C. Dated on 19.01.1992 Records
- Board of Higher Education Meeting records n18.1.1992

राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है।

## हर्षद ने मुचलका भरा

**बंबई, 15 सितंबर (भाषा) :** बहुचर्चित दलाल हर्षद मेहता ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट वीवी बेलसर की अदालत में आज पांच लाख रुपये का मुचलका भरा ताकि विदेशी मुद्रा नियमन कानून (फेरा) के कथित उल्लंघन के मामले में जमानत की शर्त पूरी कर सकें। लेकिन उच्च न्यायालय के इस आदेश पर कि प्रवर्तन निदेशालय की याचिका मंजूर होने तक उसे हिरासत में रखा जाये, याचिका में निम्न अदालत द्वारा मेहता को दी गयी सशर्त जमानत रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

## चुआन नये प्रधानमंत्री

**बैकाक, 15 सितंबर (वार्ता) :** थाईलैंड में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चुआन लीकपायी नये प्रधानमंत्री होंगे। श्री चुआन लोकतंत्र समर्थक चार दलों के गठबंधन का नेतृत्व करने पर सहमत हो गये हैं। चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे अधिक 79 सीटें मिलीं।

## रेल यातायात प्रभावित

**बलसाड, 15 सितंबर (भाषा) :** यहां से पांच किलोमीटर उत्तर में 11 तेल टैंकर बैंगनों के कल रात पटरी से उतर जाने से पश्चिमी रेलवे स्टेशन पर बंबई-अहमदाबाद और बंबई-दिल्ली के बीच गाड़ियों का आवागमन प्रभावित हुआ। पश्चिम रेलवे के सूत्रों ने यहां बताया कि कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और कुछ को बंबई वापस भेज दिया गया। सूत्रों ने बताया कि तेल टैंकरों से बहुत अधिक तेल बह रहा है। दमकल घटनास्थल के लिए रवाना हो गयी है।

## मौसम

वर्षा :	शून्य
अधिकतम तापमान :	30.3 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम तापमान :	21.6 डिग्री सेल्सियस
सुबह की आर्द्रता :	74 प्रतिशत
शाम की आर्द्रता :	67 प्रतिशत
16 का सूर्यास्त :	17.50 बजे
17 का सूर्योदय :	05.35 बजे

तथा शिक्षण सस्थाए खुला रहा। आध्यात्मिक प्रतिष्ठानों में आम दिनों की तरह काम हुआ। टाटानगर- बदामपहाड़ के बीच रेल पटरी की फिश प्लेट खोल लिये जाने के कारण एक मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गये। इसके बाद इस मार्ग पर रेल सेवा बाधित हो गयी। मानगो स्थित गुदड़ी बाजार

उसम आग लगा दी गयी। मानगो स्थित सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना के शिविर कार्यालय में घुस कर बंद समर्थकों ने गोलिए चलायी और कार्यालय को बंद करा दिया। बंद के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में जेपीपी के प्रधान सचिव सूर्य सिंह बेसरा व उड़ीसा के विधायक

# पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में भारी वृद्धि

भाषा, वार्ता

**नयी दिल्ली, 15 सितंबर :** सरकार ने आज रात से रसोई गैस के एक सिलेंडर में

की भरपाई के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे 12 अरब रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जा सकेंगे। गरीब लोगों के हितों को देखते हुए मिट्टी तेल की कीमत ज्यों की त्यों

## नया मूल्य

चार महानगरों में मौजूदा मूल्य की तुलना में आज रात से प्रभावी नये संशोधित फुटकर मूल्य और वृद्धि इस प्रकार हैं:-

## पेट्रोल (प्रति लीटर)

	नया मूल्य	पुराना मूल्य	वृद्धि
दिल्ली	15.71 रुपये	14.64 रुपये	1.07 रुपये
कलकत्ता	16.59 रुपये	15.48 रुपये	1.11 रुपये
बंबई	17.91 रुपये	16.71 रुपये	1.20 रुपये
मद्रास	18.38 रुपये	17.17 रुपये	1.21 रुपये

## डीजल (प्रति लीटर)

	नया मूल्य	पुराना मूल्य	वृद्धि
दिल्ली	6.11 रुपये	5.05 रुपये	1.06 रुपये
कलकत्ता	6.43 रुपये	5.31 रुपये	1.12 रुपये
बंबई	6.88 रुपये	5.68 रुपये	1.20 रुपये
मद्रास	6.91 रुपये	5.72 रुपये	1.13 रुपये

## रसोई गैस (14.2 किग्रा)

	नया मूल्य	पुराना मूल्य	वृद्धि
दिल्ली	82.75 रुपये	67.90 रुपये	14.85 रुपये
कलकत्ता	93.80 रुपये	77.20 रुपये	16.60 रुपये
बंबई	81.55 रुपये	66.81 रुपये	14.74 रुपये
मद्रास	86.60 रुपये	71.06 रुपये	15.54 रुपये

पंद्रह रुपये से ज्यादा और पेट्रोल, डीजल में प्रति लीटर लगभग एक रुपये की वृद्धि कर दी है। सरकारी घोषणा के मुताबिक तेल घाटे

रखी गयी है। 1989 के बाद के तीन साल से भी कम समय में सरकार ने चौथी बार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की है।

# भाजपा विकास के लिए वनांचल चाहती है

## मुख्य संवाददाता

**रांची, 15 सितंबर :** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि संस्कृति, भाषा आदि के आधार पर अलग राज्य की मांग करने वाले लोगों का सोच विघटनकारी है। इस संदर्भ में भाजपा का नजरिया एकदम स्पष्ट है। हमारी पार्टी विकास के लिए और उसी आधार पर 16 जिलों का अलग वनांचल चाहती है, क्योंकि वनांचल राज्य ही देश को ऋणमुक्त करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। डॉ. जोशी आज रात्रि यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी पिछले दिनों अपने एक बयान में स्वीकार किया है कि इस क्षेत्र की समस्याओं का अब समाधान भी यही है। जहां तक केंद्र शासित प्रदेश का सवाल है, भाजपा उसे व्यावहारिक हल नहीं मानती। वह विकल्प तर्कसंगत भी नहीं है, जबकि पांच लाख की आबादी वाला मिजोरम इलाका अलग राज्य है, उसके आगे 16 जिलों वाले इस इलाके की आबादी तो दो करोड़ है और फिर बिना अलग राज्य मिले इस क्षेत्र की शोषित जनता को विकास के क्षेत्र में पूर्ण भागीदारी का मौका ही नहीं मिल सकता।

डॉ. जोशी ने कहा कि गृह मंत्री ने जब स्वीकार कर लिया है कि इस क्षेत्र की समस्या का एक समाधान अलग राज्य है तो उन्हें

चाहिए कि अगले संसदीय सत्र में वह उसे कानूनी रूप देने के लिए लोकसभा में प्रस्तुत करें। लेकिन गृह मंत्री के रवैये से यह आशा नहीं की जा सकती।

डॉ. जोशी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री इस क्षेत्र में अलम प्रान्त के मुद्दे पर राष्ट्रीय पार्टियों से वार्ता करने से कतरा रहे हैं। वह छोटे-छोटे गुटों से बातचीत करके अलग राज्य की मांग का शमन करना चाह रहे हैं।

उन्होंने बताया कि भाजपा 16 अक्टूबर को रांची में और 11 अक्टूबर को दुमका में वनांचल मुद्दे पर एक रैली का आयोजन करेगी। उससे पहले छोटानागपुर संथालपरगना के इस इलाके में प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. जोशी ने कहा कि 16 जिलों की मांग करने वाला कोई भी दल-संगठन जो अहिंसावादी तरीके में विश्वास करता है, उनके साथ सहयोग करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

आजसू-जेपीपी की सांस्कृतिक आधार पर अलग झारखंड की मांग के बारे में डॉ. जोशी ने कहा कि संस्कृति, भाषा का आधार वाला सोच विघटनकारी है। भाजपा तो मानती है कि समूचा भारत वर्ष एक ही संस्कृति से बंधा है। भाषाएं भी यहां आड़े नहीं आतीं।

25 जिलों को लेकर झारखंड अलग प्रान्त की मांग से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. जोशी ने कहा कि आज की स्थिति में एक

राज्य को दो भागों में विभाजित करना ही व्यावहारिक है, न कि चार राज्यों के टुकड़े करके एक अलग राज्य का निर्माण करना।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. जोशी ने कहा कि उक्त राज्य के नाम के प्रति भाजपा का कोई हठ नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि अलग राज्य 16 जिलों वाला हो। बाद में यहां की जनता इसका नाम 'झारखंड' रखे या 'वनांचल'।

प्रदेश भाजपा नेतृत्व पर एक प्रश्न उठाये जाने पर डॉ. जोशी पास बैठे कैलाशपति मिश्र की ओर मुखातिब हो गये। श्री मिश्र भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष के वनांचल-समर्थन पर किसी तरह का संदेह नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने सर्वदलीय बैठक (मुख्यमंत्री लालू यादव द्वारा आहूत) के निर्णय-प्रसंग में भी कहा था कि पूर्ण वनांचल राज्य की मांग के समर्थन में कोई भी निर्णय उन्हें मान्य होगा। श्री मिश्र ने बताया कि वह बैठक काफी हड़बड़ी में बुलायी गयी थी। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष उसमें शामिल नहीं हो पाये।

एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. जोशी ने दावा किया कि बिहार को बांटा गया तो उत्तर बिहार के विकास के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आयेगी। उन्होंने हरियाणा-पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तर बिहार की भूमि काफी उपजाऊ है। खासकर कैश क्राप- तंबाकू, वगैरह की बड़ी मात्रा में खेती हो सकती है। मत्स्य पालन की संभावना है।

है. 7 करोड़ रुपये की लागत से उत्पादन क्षमता 24,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 60,00 मीट्रिक टन

चिमनियों की ऊंचाई 80-120 मीटर रखी गयी है, जिससे उत्सर्जित प्रदूषण तत्व अच्छी में केवल कम का इस्तेमाल लगाये गये हैं, गली गैस पर

होता है. जैसे रसोई गैस, पेट्रोल, नेफ्था, मिट्टी का तेल, विमानों का टरबाइन ईंधन, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल, ईंधन तेल, बिटुमेन और सल्फर. कारखाना इन उत्पादों के जरिये एक अरब रुपये विदेशी मुद्रा की वार्षिक बचत करता है.

रंची, 16 सितंबर 1992, बुधवार

### RANCHI COLLECTORATE (Urban Land Ceiling Section) NOTIFICATION

U/S 10 (i) of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 Date.....

No. 395/76..JULC Whereas draft statement prepared by the undersigned under Rules of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 of the land held by the landholder U/S 8 of the above mentioned Act in the table here to has been published.

And thereas in the said statement the lands described in column 1 to 2 shown in the following table to be in exeeese of the Ceiling limit. AND Whereas the under-noted excess lan is to be acquired by the Satate Government:

NOW, therefore, interested persons are called upon to file their claims if any, either personally or by their Agent, giving particulars of the nature of their interests in such land within thirty days from the issue of this notifications.

#### DETAILS OF THE SURPLUS LAND AND THE NAME/NAMES OF THE LAND HOLDER WITH ADDRESS

Rev. C. B. Aind.

Secretary, Board of Properties, G.E.L Church, Ranchi.

State	District	Mauza	Thana	M. S. Plot No.	Area	Boundry
1	2	3	4	5	6	7
Bihar	Ranchi	Seeram ward No. V		788, 793, 794, 913, 974, 973, 948, 949, 950, 971, 953, 1193, 1194, 1196, 1197, 1174 to 1179, 1182 to 1192, 1204 P.	354158.40	Total Sqr ft.

It is ordered that copied of this notification be displayed on my noticeboard for the information of the general public.

It is Further ordered that a copy of the notification be published in English and Hindi daily news papers through the Dist. public relation department, Ranchi

#### अधिशेष भूमि का व्योरा

प्लॉट संख्या वर्गमीटर में	रकबा (वर्गमीटर)	चौहद्दी	रकबा प्लॉट संख्या (वर्गमीटर में)	चौहद्दी
1	2	3	4	7
788	273.24	उ-प नं 793 पु पं द. पू. प. वही	971	उ: रास्ता द. प. नं 972, 973 पु 949, 950 प 953
793	1,46,954.87	उ प नं 794 द. सड़क पु. प. न 794 प.	953	उ. यौलान सीट नं 4 द प सं 970 प 971, 972 द. 969, 961
794	22,499.80	उ प नं 794, द. पु, प वही	1193	उ 1195 रास्ता, द 1173, पु रास्ता, प 1197 तालाब
913	304.92	उ 974, द. पु, प वही	1196	उ 1193, द 1173 सड़क, पु 1193, प 1198
974	17,013.58	उ प नं 973, द 977 रास्ता, पु 975, प 970	1197	उ 1196, 1193, द 1196, 1173, पु 1193, प 1198
973	2,425.04	उ प नं 972, द 975, 974, पु 948	1174	उ प नं 1175, द 1193 अंश, पु 1193, प 1193
948	1,187.40	उ प नं 949, द 975, पु एचबी रोड, प 972	1175	उ प नं 1176, द 1174, पु, 1193, प 1193
949	5,159.48	उ प नं 950, द 948, पु एचबी रोड, प प नं 952	1176	उ प नं 1177, द 1175, पु 1193, प 1193
950	2,690.18	उ सड़क, द. प नं 979, 973, पु 949, 950, प 953	1177	उ प नं 1178, द 1176, पु 1193, प 1193
1178	27.72	उ प नं 1179, द 1177, पु 1193, प 1193	1192	उ प नं 1183, द 1193, पु 1193, प 1184
1179	21.68	उ प नं 1193, द 1179, द 1178, पु 1193, प 1193	1189	उ प नं 1188, द 1190, पु 1192, प 1193
1182	27.72	उ प नं 1193, द 1192, पु 1182, प 1188	1190	उ प नं 1189, द 1191, पु 1192, प 1193
1183	23.76	उ प नं 1193, द 1192, पु 1182, प 1192	1191	उ प नं 1190, द 1192, पु 1192, प 1193
1184	79.30	उ प नं 1193, द 1192, पु 1192, प 1185	1204	उ प नं 1189, द 1205 अंश, पु 1198, प मेन रोड
1185	19.86	उ प नं 1193, द 1192, पु 1184, प 1186	1194	उ प नं 793, द, पु, प. वही
1186	27.72	उ प नं 1193, द 1192, पु 1185, प 1187		
1187	36.68	उ प नं 1193, द 1188, पु 1192, प 1193		
1188	35.64	उ प नं 1187, द 1189, पु 1192, प 1193		

कुल अधिशेष भूमि का रकबा 3,54,158.40 वर्गमीटर  
उपायुक्त सह ससम पदाधिकारी, रंची



# आदेश के खिलाफ मुखर हुए ईसाई संगठन

शफीक अंसारी

रांची, 27 सितंबर : स्थानीय जीइएल चर्च की जमीन का मामला अब अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। कई ईसाई धार्मिक संगठनों तथा यहां के प्रमुख ईसाई संगठनों के धर्माध्यक्षों ने इस संबंध में केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इन संगठनों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर यह आरोप लगाया है कि वे धार्मिक, खासकर ईसाई संस्थाओं पर हमला करने में जुटी शक्तियों के साथ साठ-गांठ कर रहे हैं। इस मुद्दे पर यहां के ईसाई संगठन एकजुट हुए हैं और इन संगठनों के प्रमुख द्वारा प्रधानमंत्री सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों को प्रेषित पत्र में जिला प्रशासन द्वारा जीइएल चर्च की जमीन वापस लेने संबंधी फैसले को धार्मिक संगठनों पर हमला करार दिया गया है। इस क्रम में पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की गयी है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में रांची के उपायुक्त सुधीर प्रसाद ने जीइएल चर्च की सरकार द्वारा दी गयी जमीन में से 90 एकड़ जमीन को आवश्यकता से अधिक बताते हुए उसे सीलिंग में लाने संबंधी एक आदेश पारित किया है।

अपने 19 अगस्त 1992 के आदेश में श्री प्रसाद ने जीइएल चर्च कॉम्प्लेक्स में बने मार्केट कॉम्प्लेक्स को भी उसी दायरे में शामिल करने को कहा है, जिसे सीलिंग के दायरे में लाया गया है। उपायुक्त के इस आदेश के बाद जमीन को सरकार के कब्जे में लेने की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गयी है तथा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। उपायुक्त के इसी निर्णय के खिलाफ ईसाई संगठनों के प्रमुखों ने आपत्ति की है।

इन मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए 'लूथरन वर्ल्ड फेडरेशन चर्च, जेनेवा', 'नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ इंडिया, नागपुर' तथा लूथरन चर्च के मुख्यालय बर्लिन को भी पत्र भेजे जा चुके हैं। अनुमान है कि ये संगठन भी अपनी ओर से भारत के प्रधानमंत्री से सीधा संपर्क साधेंगे। इसके अलावा ईसाई धर्मावलंबी केंद्रीय मंत्रियों जैसे पीए संगमा, एमएम जैकब तथा पीए कूरियन के अलावा विदेश मंत्री आरएल भारटिया, मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह, वित्त राज्यमंत्री रामेश्वर ठाकुर और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महामंत्री सुशील कुमार शिंदे को भी इसकी जानकारी दी गयी है।

रांची के आर्च बिशप तेलस्फर टोप्पो ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा है कि गोस्सर इवांजलिजल लूथरन चर्च 1845 से ही इस क्षेत्र में कार्यरत है। अपने इस 158 वर्षों के जीवन में चर्च ने यहां की जनता की सेवा की है और खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में इसका उल्लेखनीय योगदान रहा है। यहां के स्थानीय आदिवासी ईसाइयों द्वारा संचालित इस चर्च को प्रशासन द्वारा परेशानी में डाला जा रहा है। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि इस चर्च के योगदानों की सराहना करने के बजाय उन्हें समाप्त करने की

कोशिशें हो रही हैं। इस पत्र की प्रति राज्य के मुख्यमंत्री को भी भेजी गयी है।

जीइएल चर्च के प्रमुख अध्यक्ष रेवरेण्ड सीएसआर टोपनो ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि कुछ सांप्रदायिक शक्तियां इस चर्च की धार्मिक स्वतंत्रता को समाप्त करने पर तुली हुई हैं, जिसे स्थानीय प्रशासन का एक तबका प्रोत्साहन दे रहा है। इस कारण इस चर्च का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। छोटानागपुर के बिशप जेड जेम्स तेरॉम ने श्री राव को लिखे अपने पत्र में जिला प्रशासन द्वारा पारित इस आदेश पर पूरे छोटानागपुर के ईसाइयों को लगे मानसिक धक्के का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि यहां के सारे चर्च धार्मिक, शैक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए काम करते हैं, इन चर्चों की संपत्ति से जो कुछ भी आय होती है, उसे भी इन्हीं उद्देश्यों पर खर्च किया जाता है। लेकिन रांची के उपायुक्त के आदेश ने इस क्षेत्र के ईसाइयों की धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित कर दिया है और वे अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यंग मैस क्रिश्चियंस एसोसिएशन के महासचिव नित्यानंद नायक ने भी प्रधानमंत्री को इसी संबंध में एक पत्र भेजा है। इस पत्र की प्रति केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को भी भेजी गयी है, जिसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र में लगातार उभरती सांप्रदायिक ताकतों का निशाना अब यहां के ईसाई मिशनरी हो रही हैं।

पत्र में चर्च के ढांचे का व्योरा देते हुए बताया गया है कि चर्च की कुल 121.17 एकड़ जमीन में से 89.05 एकड़ जमीन को सीलिंग एक्ट की परिधि में लाया गया है। यह कहा गया है कि जिन भूखंडों को इसके दायरे में लाया जा रहा है, उसमें अनेक शैक्षणिक प्रतिष्ठान भी हैं। ज्ञापन में इस बात का हवाला दिया गया है कि उपायुक्त की सारी कार्यवाही एक सांप्रदायिक राजनीतिक दल के कुछ लोगों के उकसाने के कारण हुई है। पूर्व उपायुक्त बीके सिन्हा के कार्यकाल में भी उसी दल के एक नेता ने चर्च को प्रदत्त जमीन में कॉम्प्लेक्स बनाने का विरोध किया था, जिस पर भूमि सुधार उप-समाहर्ता की रिपोर्ट के आधार पर श्री सिन्हा ने 64 पृष्ठों का फैसला सुनाया था, जो चर्च के पक्ष में था। इसमें चर्च को कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दी गयी थी, जो सिर्फ आधा एकड़ जमीन पर बनी है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि धार्मिक संगठन भी शहरी अर्जन कानून के दायरे में आते हैं, तो इस संबंध में काफी पहले ही अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी। फिर भी जब इसे कानून की परिधि से बाहर रखने संबंधी एक आवेदन राज्य सरकार के पास विचाराधीन है, तो इतनी जल्दी इस भूखंड पर दखल लेने संबंधी अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए थी। जीइएल चर्च प्रमुख रेव सीएसआर टोपनो, चर्च के सचिव जेएस टोपनो, चर्च के असम अंचल के सचिव जी टीरू, बीएस बागे और पूर्व सांसद साईमन तिग्गा ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित अन्य नेताओं से मिल कर उन्हें अपने दृष्टिकोण से अवगत कराते हुए उपरोक्त पत्र लिखा।



# जी.ई.एल.चर्च : उपायुक्त के फैसले से पैदा बवाल

(कार्यालय संवाददाता)

रांची, 27 सितम्बर : पिछले दिनों जी.ई.एल. चर्च की संपत्ति के संबंध में उपायुक्त सुधीर प्रसाद द्वारा दिया गया निर्णय जबर्दस्त विवाद के केन्द्र में आ गया है। इस निर्णय के खिलाफ जी.ई.एल. चर्च के लोग मोर्चाबद्ध होकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, वहीं इस क्षेत्र के कई राजनीतिज्ञों ने भी प्रधानमंत्री एवं गुहमंत्री से इस निर्णय के विरुद्ध अपील की है और उनके हस्तक्षेप की मांग की है। खुद जी.ई.एल. चर्च के अधिकारियों ने कई दस्तावेजों के साथ एक पत्र प्रधानमंत्री, गुहमंत्री तथा मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को प्रेषित किया है। इस बीच जी.ई.एल. चर्च के प्रमुख अध्यक्ष श्री सी.आर.एस. टोपनो, सचिव एस.एस.टोपनो, पूर्व सांसद साइमन तिग्गा, असम अंचल के सचिव जी. तुरु तथा बोर्ड ऑफ प्रोपर्टीज के मैनेजर बी. बागे ने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह, कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव सुरशील कुमार शिंदे, विदेश राज्य मंत्री आर.एल. भाटिया तथा पित्त राज्यमंत्री रामेश्वर ठाकुर से मुलाकात की और उनसे इस पूरे मामले की सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त ने किन परिस्थितियों और दबावों में यह निर्णय दिया, इसकी जांच की जानी चाहिए। तत्पश्चात कांग्रेस महासचिव सुरशील कुमार शिंदे ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री एवं गुहमंत्री को जांच के लिए पत्र लिखा है।

उधर जी.ई.एल. चर्च ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि उपायुक्त निहित स्वार्थी एवं सांप्रदायिक ताकतों के बहकावे में आकर देश के संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप नष्ट करते हुए एक धार्मिक संस्था को प्रतिष्ठान कर रहे हैं। पत्र

में कहा गया है कि छोटानागपुर क्षेत्र से ईसाई मिशनरी को उखाड़ फेंकने और सांप्रदायिक तनाव के बीज बोने के प्रयास निरंतर चल रहे हैं और उपायुक्त इन प्रयासों का मोहप हो गए हैं। पत्र में जी.ई.एल. चर्च द्वारा लंबे अरसे से इस क्षेत्र में किये जा रहे सेवा-कार्यों का उल्लेख है और कहा गया है कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बावजूद इसका उद्देश्य व्यावसायिक नहीं है और इससे होने वाली आय विभिन्न शिक्षण एवं सेवा-संस्थानों में लगवाई जाती है। पत्र में जी.ई.एल. चर्च ने एक धार्मिक संस्था के रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट की है और यह उल्लेख भी किया है कि जब एक याचिका बिहार-सरकार के पास पड़ी हुई थी, तब वर्तमान उपायुक्त को यह निर्णय लेने की इच्छा बनी थी। इसके अतिरिक्त पत्र में यह भी जिक्र किया गया है कि पूर्व उपायुक्त बी.के. सिन्हा ने इस मामले की पूरी सुनवाई के बाद चर्च की पूरी जमीन पर चर्च का अधिकार बरकरार रखते हुए लगभग आधा एकड़ जमीन पर चर्च को कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य बढ़ाने की अनुमति दी थी।

इस मामले में चर्च के अतिरिक्त कई दूसरे लोग भी कूद पड़े हैं। झारखंड पार्टी के अध्यक्ष और बिहार विधानसभा के सदस्य एन.ई. होरो ने मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को एक पत्र लिखकर इस स्थिति से अवगत करवाया है और आरोप लगाया है कि प्रशासन सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों में खेल रहा है। उन्होंने लिखा है कि चर्च की सम्पत्ति का 95% हिस्सा शिक्षण संस्थानों, चर्च, हॉस्टल आदि से बच रहा है और बाकी पांच प्रतिशत हिस्सा 1940 से ही अलग-अलग लोगों की लाज पर दिया गया है, जिससे होने वाली आय में बृद्धि चर्च के कार्यों

एवं उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हो। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि कई धार्मिक और शैक्षणिक संगठन ऐसे हैं, जो इससे भी अधिक संपत्ति पर अधिकार रखते हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि पूर्व उपायुक्त बी.के. सिन्हा ने यह निर्णय दिया था कि चर्च इस संपत्ति का एकमात्र स्वामी है और यह स्वामित्व किया जा कि कॉम्प्लेक्स के निर्माण एवं लाज पर दिए जाने का उद्देश्य व्यावसायिक है। मगर वर्तमान उपायुक्त ने कुछ साम्प्रदायिक तत्वों के प्रभाव में इसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया गया कार्य करार दिया है। कैसे कोई व्यक्ति बिना पूरी जांच और दस्तावेजों के अध्यक्ष को ऐसे आदेश दे सकता है? श्री होरो ने गुहमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

इसके अतिरिक्त बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने तीन अलग-अलग पत्र प्रधानमंत्री, गुहमंत्री एवं बिहार के मुख्यमंत्री को प्रेषित करते हुए आरोप लगाया है कि इस क्षेत्र में धार्मिक स्वतंत्रता का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है।

पूर्व सांसद एस.एस. अहलूवालिया ने भी गुहमंत्री शंकरदास चव्हाण को एक पत्र लिखकर आरोप का ब्यक्त की है कि इस क्षेत्र में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा सांप्रदायिक भावनाएं उभारकर सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अहलूवालिया ने इस निर्णय के आसपास से उत्पन्न रहे संकट से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए गुहमंत्री से हस्तक्षेप का आग्रह किया है।

आई.एम.जी.ए. के महासचिव नित्यानंद नाईक ने प्रधानमंत्री श्री राव को प्रेषित एक पत्र में आरोप लगाया है कि उपायुक्त के ताजा आदेश ने धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित किया

है और अनावश्यक समस्या खड़ी की है। छोटानागपुर क्षेत्र के बिशप जेम्स तेरोम ने भी प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा है कि उपायुक्त के ताजा आदेश से इस क्षेत्र का ईसाई समुदाय आहत है। रांची के आर्क बिशप तेलोस्फोर पी. टोम्पो ने गुहमंत्री श्री चव्हाण को लिखे अपने पत्र में कहा है कि यहां के आदिवासी और खासकर ईसाई एक असंवेदनशील, विवेकरहित और पूर्वाग्रह से ग्रस्त प्रशासन के शिकार हो रहे हैं। वितीय रूप से आत्मनिर्भर होने के इस चर्च के प्रयासों की प्रशंसा करने की जगह एक धार्मिक और शैक्षणिक एजेंसी के रूप में इसके अस्तित्व की जड़ों को काटने वाले निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने श्री चव्हाण से अनुरोध किया है कि वह रांची जिला प्रशासन द्वारा लिए गए अविवेकपूर्ण निर्णय को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठावें।

बिहार विधानसभा की सदस्य सुरशीला केरकेट्टा ने लालू यादव को लिखे गए एक पत्र में उपायुक्त के आदेश को निरंकुश बताते हुए इसे ईसाई समुदाय के अस्तित्व पर आक्रमण बताया है और आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।

पूर्व सांसद साइमन तिग्गा ने प्रधानमंत्री श्री राव को एक पत्र लिखकर चर्च की सम्पत्ति से जुड़े विवाद का ब्योरा देते हुए कहा है कि उपायुक्त के निर्णय से सारा ईसाई समुदाय अव्यवस्थित है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मामले की जांच कराने की मांग की है।

इस बीच सबसे खास बात यह है कि इस मुद्दे पर कैथोलिक मिशन और चर्च ऑफ नार्थ इंडिया गोलबंद हो रहे हैं और संयुक्त रूप से इस निर्णय के विरोध में आंदोलन करने की ओर बढ़ रहे हैं।

G.E.L. Church - Court Cases

01. TS 50/89 - Muinul Haque vs. G.E.L.C. (Comp.No. 1,2)
02. TS 135/89- Anwaraul Haque Vs. G.E.L.C.
03. TA 16/95 - G.E.L.C Vs. Bijoy Toppo - Complex Denelition
04. VCC A 176/92 -G.E.L.C Vs. State - Ceiling Act.
05. ULC A 121/93 - Cyril Minz Vs. G.E.L.C. - Cyril minz  
Claim of Property.
06. RR A 82/88 N.G. Mitra Vs. G.E.L.C.- State Porperty
07. Mis 2/87 - State Vs. G.E.L.C. Rent fixation.
08. Mis 1/95 - Barla Vs. G.E.L.C. Remuneration.
09. TS 285/86 Dr. N. Minz Vs. G.E.L.C. - Claim of Property entire  
G.E.L.C.
10. TS 127/78 Rev. C.S.R. Topno Vs. Dr. N. Minz - New registration  
shall not make by NW  
G.E.L.C.
11. Ev. 80/87 - G.E.L.C.Vs. Dr. N. Minz | Ev. suit to vacant
12. Ev. 81/07 - G.E.L.C. Vs. Vijoy Kumar Toppo | house.
13. Mis. 128/95 -G.E.L.C. Vs. Moinul Haque - Transferpation of  
TS 50 -TS 135.
14. CRR. 84/90 - G.S.R. Topno Vs. State | Late Case
15. GR 2412/90 - State Vs. C.S.R. Topno |
16. Ev. 13/95 - G.E.L.C. Vs. Vijoy Toppo |
17. Ev. 12/95 - Cyril Kumar Minz Vs. G.E.L.C |
18. TS. 28/95 - G.E.L.C. Vs. Santi Prakash Tigga | Eviction Suit.
19. Ev. 38/95 - G.E.L.C. Vs. Bron Kujur |
20. Ev. 166/95- G.E.L.C. Vs. Mrs. Lily Tirkey |
21. MS. 76/91- Moinul Haque Vs. J. Prakash 2 others |
22. MS. 77/91 Anwanul Haque Vs. - do - 2 others | G.E.L.C.  
Secy.money  
refund.
23. SA 132/76 High Court - Dr. N. Minz Vs. G.E.L.C. Property  
Claim G.E.L.C.
24. TS. 124/92 Sarif Vs. G.E.L.C. Title declaretion lease land.



G.E.L. Church - Court Cases

01. TS 50/89 - Moinul Haque vs. G.E.L.C. (Comp.No. 1,2)
02. TS 135/89- Anwaraul Haque Vs. G.E.L.C.
03. TA 16/95 - G.E.L.C Vs. Bijoy Toppo - Complex Denial ~~is~~ ~~tion~~
04. VCC A 176/92 -G.E.L.C Vs. State - Ceiling Act.
05. ULC A 121/93 - Cyril Minz Vs. G.E.L.C. - Cyril minz  
Claim of Property.
06. RR A 82/88 N.C. Mitra Vs. G.E.L.C.- State Porperty
- 007 Mis 2/87 - State Vs. G.E.L.C. Rent fixation.
08. Mis 1/95 - Barla Vs. G.E.L.C. Remuneration. X
09. TS 285/86 Dr. N. Minz Vs. G.E.L.C. - Claim of Property entire  
G.E.L.C.
10. TS 127/78 Rev. C.S.R. Topno Vs. Dr. N. Minz - New registration  
shall not make ~~by~~ NW  
G.E.L.C.
11. Ev. 80/87 - G.E.L.C.Vs. Dr. N. Minz | Ev. suit to vacant
12. Ev. 81/87 - G.E.L.C. Vs. Vijoy Kumar Toppo | house.
13. Mis. 128/95 -G.E.L.C. Vs. Moinul Haque - Transferration of  
TS 50 -TS 135.
14. CRRE.84/90 - G.S.R. Topno Vs. State | **Late Case**
15. GR 2412/90 - State Vs. C.S.R. Topno |
16. Ev. 13/95 - G.E.L.C. Vs. Vijoy Toppo |
17. Ev. 12/95 - Cyril Kumar Minz Vs. G.E.L.C |
18. TS. 28/95 - G.E.L.C. Vs. Santi Prakash Tigga | Eviction Suit.
19. Ev. 38/95 - G.E.L.C. Vs. Iron Kujur |
20. Ev. 166/95- G.E.L.C. Vs. Mrs. ~~My~~ Tirkey |
21. MS. 76/91- Moinul Haque Vs. J. Prakash 2 others |
22. MS. 77/91 Anwanul Haque Vs. - do - 2 others | G.E.L.C.  
Secy.money  
refund.
23. SA 132/76 High Court - Dr. N. Minz Vs. G.E.L.C. Property  
Claim G.E.L.C.
24. TS. 124/92 Sarif Vs. G.E.L.C. Title declaretion lease land.

To  
The Head Acct.,  
Central Office,  
G.E.L. Church, Ranchi



# LIST OF SHOP AND DETAILS OF LEASE

ON MAIN ROAD,

Sl.No.	Shop No.	Lessee	Area Leased out	Period of Lease	Rent mont
01.					
02.					
03.	3	Mrs. Veena Chhabra	- 212 sq. ft.	- 30 years	- 371.
04.	4	Mr. Ashok Kr. Verma and Sunil Kr. Verma	- 212 sq. ft.	- "	- 375.
05.	5	Mr. Zubair Ahmad Ansari	- 212 sq. ft.	- "	- 373.
06.	6	Shri. L.R. Hermani	- 212 sq. ft.	- "	- 371.
07.	7	Mr. Ashok Kr. Sharma	- 217 sq. ft.	- "	- 379.
08.	8	Shri. Mohan Lal Verma & Shri. Jugal Kishor Prasad	- 212 sq. ft.	- "	- 371.
09.	9	Mr. Kamal Agrawal and Mr. Rajesh Agrawal	- 212 sq. ft.	- "	- 371.
10.	10.	Mr. Deepak Kinger	- 212 sq. ft.	- "	- 371.
11.	11+12	Mr. Rajeev Kaura	- 434 sq. ft.	- "	- 759.
12.	13	Mr. Basant Kr. Meghani	- 212 sq. ft.	- "	- 371.
13.	14	Mr. Jagdish Bhatia	- 212 sq. ft.	- "	- 371.
14.	15	Mrs. Geeta Kakkar	- 212 sq. ft.	- "	- 371.
15.	16	Mr. Pradeep Kr. Agrawal	- 252 sq. ft.	- "	- 441.
16.	17	Mr. Manoj Kr. Sahu	- 252 sq. ft.	- "	- 441.

RANCH I.

per th	Period when Rent to be enhanced	Amount advanced for adjustment against rent	Non-Refundable Deposit	M.Tax	Reamrks
.00	-	-	- Rs 82,400.00	- Rs 20,600.00	-
.00	-	-	- Rs 42,400.00	- Rs 20,600.00	-
.00	-	-	- Rs 42,400.00	- Rs 20,600.00	-
.00	-	-	- Rs 42,400.00	- Rs 20,600.00	-
.75	-	-	- Rs 92,000.00	- Rs 23,000.00	-
.00	-	-	- Rs 82,400.00	- Rs 20,600.00	-
.00	-	-	- Rs 82,400.00	- Rs 20,600.00	-
.00	-	-	- Rs 82,400.00	- Rs 20,600.00	-
.50	-	-	- Rs 184,000.00	- Rs 46,000.00	-
.00	-	-	- Rs 82,400.00	- Rs 20,600.00	-
.00	-	-	- Rs 82,400.00	- Rs 20,600.00	-
.00	-	-	- Rs 82,400.00	- Rs 20,600.00	-
.00	-	-	- Rs 82,400.00	- Rs 20,600.00	-
.00	-	-	- Rs 108,000.00	- Rs 27,000.00	-
.00	-	-	- Rs 97,600.00	- Rs 24,400.00	-

17.	18	-	-	-	-	-
18.	19	Mrs. Hem Boddia	-	212 sq. ft.	-	371.
19.	20	Sheo Shankar Lal	-	252 sq. ft.	-	441.
20.	21	Bimal Kr. Paul	-	349 sq. ft.	-	610.
21.	22	Shri. Satya Praksh	-	207 sq. ft.	-	362.
22.	23	Smt. Sunita Verma	-	207 sq. ft.	-	362.
23.	24	Shri. Dinesh Kr. Maheawari	-	207 sq. ft.	-	362.
24.	25	Shri. Amarchand Agrawal	-	207 sq. ft.	-	362.
25.	26	Smt. Sunita Verma	-	207 sq. ft.	-	362.
26.	27	Shri. Lal Bal Kishan Nath Saha	-	207 sq. ft.	-	362.
27.	31+32+33	Shri. Aswani Jaiswal	-	756 sq. ft.	-	1323.
28.	34	Mr. Ghanshyam Agrawal	-	217 sq. ft.	-	379.
29.	35	Mr. Praksh Agrawal	-	217 sq. ft.	-	379.
30.	38	Mr. Sanjay Agrawal	-	207 sq. ft.	-	362.
31.	39	Mr. Mahesh Kr.	-	212 sq. ft.	-	371.
32.	40	Mr. Pawan Kumar	-	212 sq. ft.	-	371.
33.	41+42	Mrs. Romila Malik	-	424 sq. ft.	-	742.



00	-	-	-	Rs 98,400.00	-	Rs 24,600.00	-
00	-	-	-	Rs 97,600.00	-	Rs 24,400.00	-
75	-	-	-	Rs 137,600.00	-		-
25	-	-	-	Rs 84,000.00	-	Rs 21,000.00	-
25	-	-	-	Rs 80,400.00	-	Rs 20,100.00	-
25	-	-	-	Rs 80,400.00	-	Rs 20,100.00	-
25	-	-	-	Rs 75,375.00	-	Rs 25,125.00	-
25	-	-	-	Rs 80,400.00	-	Rs 20,100.00	-
25	-	-	-	Rs 84,000.00	-	Rs 21,000.00	-
00	-	-	-	Rs 303,200.00	-	Rs 75,800.00	-
75	-	-	-	Rs 92,000.00	-	Rs 23,000.00	-
75	-	-	-	Rs 92,000.00	-	Rs 23,000.00	-
25	-	-	-	Rs 80,400.00	-	Rs 20,100.00	-
00	-	-	-	Rs 82,400.00	-	Rs 20,600.00	-
00	-	-	-	Rs 82,400.00	-	Rs 20,600.00	-
00	-	-	-	Rs 164,800.00	-	Rs 41,200.00	-

Get this letter from  
KSS

~~Yours~~

With great constraint  
we have agreed to ~~all~~  
to release you from the  
services of KSS as  
with effect from . . .

We further state that you  
~~KSS have~~ ~~no~~ have fully  
discharged your responsibilities  
and ones that so ever  
to KSS and its allied concerns  
and that the KSS place on

25252

its record the <sup>member</sup> contribution  
you have made to KSS  
organization. We further  
discharge you from all  
liabilities that soever you  
have with KSS and its  
concerns.

Please collect your  
 dues of R. . . . . after



2520

21000  
26000  
20000  
20000

For  
Re  
M  
N  
N  
R

# RANCHI MUNICIPAL CORPORATION

## RECEIPT FORM

H. No- 763/D

DA C14A

Receipt No.

Ward No. (वार्ड नं०)

Form B (बीमा में कर देने वाले का नाम)

New Shopping 28867

(in words)

राजस्व पदाधिकारी

87140-00 only on account of Municipal taxes as detailed below (भाषा में लिखना होगा)

	PREVIOUS YEAR पिछला वर्ष				CURRENT YEAR इस वर्ष का				Total जमा
	1st qr. 1 तिमाही	2nd qr. 2 तिमाही	3rd qr. 3 तिमाही	4th qr. 4 तिमाही	1st qr. 1 तिमाही	2nd qr. 2 तिमाही	3rd qr. 3 तिमाही	4th qr. 4 तिमाही	
Amount रुपया	Amount रुपया	Amount रुपया	Amount रुपया	Amount रुपया	Amount रुपया	Amount रुपया	Amount रुपया	Amount रुपया	
House tax मकान टैक्स					12420.00	12420.00			24840.00
Litrine tax पखाना टैक्स					7450.00	7450.00			14900.00
Water tax पानी टैक्स					12420.00	12420.00			24840.00
He H. C मास्य कर					6310.00	6310.00			12620.00
E.P.C वेस्टमिनिंग					4968.00	4968.00			9936.00
Total मोट					43570.00	43570.00			87140.00

Total in words (भाषा में लिखना होगा)

Date (दिनांक)

Revenue Officer  
राजस्व पदाधिकारी

Sarkar or Tahsildar  
सरकार या तहसीलदार


OFFICE OF THE RANCHI MUNICIPAL CORPORATION

Name of owner : G. E. h. Mission New Shopping  
 Address : Complex  
 Holding No. 76312 Ward No. 14A Mohalla

STATEMENT OF ARREAR OUTSTANDING

Year	Quarter	House Tax	Latrine Tax	Water Tax	Health Cess	Education Cess	Total
1992-93	I-II	24840.00	14904.00	24840.00	12620.00	9936.00	87140.00

Eighty Seven thousand one hundred forty only



*[Signature]*  
 17/11/92

*[Signature]*  
 Regional Supervisor  
 R.M.C.

Regional Supervisor  
 R.M.C.

*[Signature]*  
 16/8/92  
 Officer in Charge  
 Administrator  
 Assessor  
 Ranchi Municipal Corpn.  
 Ranchi.



**RANCHI COLLECTORATE**  
**(Urban Land Ceiling Section)**  
**NOTIFICATION**

U.S 10 (i) of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 Date.....

No. 335/76. A/LC Whereas draft statement prepared by the undersigned under Rules of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 of the land held by the landholder U/S 8 of the above mentioned Act in the table here to has been published.

And thereas in the said statement the lands described in column 1 to 2 shown in the following table to be in exese of the Ceiling limit. AND Whereas the under-noted excess lan is to be acquired by the Satate Government.

NOW, therefore, interested persons are called upon to file their claims if any, either personally or by their Agent, giving particulars of the nature of their interests in such land within thirty days from the issue of this notifications.

**DETAILS OF THE SURPLUS LAND AND THE NAME/NAMES OF THE LAND HOLDER WITH ADDRESS**

Rev. C. B. And.

Secretary, Board of Properties, G.E.L. Church, Ranchi.

State	District	Mauza	Thana	M. S. Plot No.	Area	Boundry
1	2	3	4	5	6	7
Bihar	Ranchi	Seeram ward No. V		788, 793, 794, 913, 974, 973, 948, 949, 950, 971, 953, 1193, 1194, 1196, 1197, 1174 to 1179, 1182 to 1192, 1204 P.		Total 354158.40 Sqr ft.

It is ordered that copied of this notification be displayed on my noticeboard for the information of the general public.

It is Further ordered that a copy of the notification be published in English and Hindi daily news papers through the Dist. public relation department, Ranchi

प्लॉट संख्या वर्गमीटर में	रकबा (वर्गमीटर)	अधिशेष भूमि का ब्योरा चौहद्दी	रकबा प्लॉट संख्या (वर्गमीटर में)	चौहद्दी
1	2	3	4	5
788	273.24	उ-प नं 793 पु. पं द. पू. प. वही	971	3,890.96 उ: रास्ता द. प. नं 972, 973 पु 949, 950 प 953
793	1,46,954.87	उ प नं 794 द. सड़क पु. प. न 794 प.	953	39,657.95 उ. यीतान सीट नं 4 द प सं 970 प 971, 972 द-969, 961
794	22,499.80	उ प नं 794, द, पु, प वही	1193	50,416.27 उ 1195 रास्ता, द 1173, पु रास्ता, प 1197 ताताब
913	304.92	उ 974, द, पु, प वही	1196	3,718.00 उ 1193, द 1173 सड़क, पु 1193, प 1198
974	17,013.58	उ प नं 973, द 977 रास्ता, पु 975, प 970	1197	18,812.28 उ 1196, 1193, द 1196, 1173, पु 1193, प 1198
973	2,425.04	उ प नं 972, द 975, 974, पु 948	1174	39.60 उ प नं 1175, द 1193 अंश, पु 1193, प 1193
948	1,187.40	उ प नं 949, द 975, पु एचवी रोड, प 972	1175	43.56 उ प नं 1176, द 1174, पु 1193, प 1193
949	5,159.48	उ प नं 950, द 948, पु एचवी रोड, प प नं 952	1176	51.38 उ प नं 1177, द 1175, पु 1193, प 1193
950	2,690.18	उ सड़क, द. प नं 979, 973, पु 949, 950, प 953	1177	55.44 उ प नं 1178, द 1176, पु 1193, प 1193
1178	27.72	उ प नं 1179, द 1177, पु 1193, प 1193	1192	1,096.72 उ प नं 1183, द 1193, पु 1193, प 1184
1179	21.68	उ प नं 1193, द 1178, पु 1193, प 1193	1189	27.82 उ प नं 1188, द 1190, पु 1192, प 1193
1182	27.72	उ प नं 1193, द 1192, पु 1182, प 1188	1190	27.72 उ प नं 1189, द 1191, पु 1192, प 1193
1183	23.76	उ प नं 1193, द 1192, पु 1182, प 1192	1191	55.44 उ प नं 1190, द 1192, पु 1192, प 1193
1184	79.30	उ प नं 1193, द 1192, पु 1192, प 1185	1204	15,500.21 उ प नं 1189, द 1205 अंश, पु 1198, प मेन रोड
1185	19.86	उ प नं 1193, द 1192, पु 1184, प 1186	1194	15,953.56 उ प नं 793, द, पु, प. वही
1186	27.72	उ प नं 1193, द 1192, पु 1185, प 1187		
1187	36.68	उ. प नं 1193, द 1188, पु 1192, प 1193		
1188	35.64	उ प नं 1187, द 1189, पु 1192, प 1193		

कुल अधिशेष भूमि का रकबा 3,54,158.40 वर्गमीटर  
उपायुक्त सह सक्षम पदाधिकारी, रांची

## जी० ई० एल० चर्च असम अंचल की दुर्दशा से मुक्त

### करने के लिए भाई-बहिनों से अपील ।

प्रिय भाईयो और बहिनो,

आप सभी को सप्रेम पोशु सहाय। बीते अपोल में हमों ने दूसरी अपील के लिए इन्तजार करने की बात लिखा था इसी सिलसिले में यह दूसरा अपील है।

आप सभी को मालूम होवे कि वर्तमान अंचल अधिकारियों की दुर्नीति से जी० ई० एल० चर्च असम अंचल की आर्थिक, आर्थिक और सामाजिक दशा इतनी खराब हो गई है जो चिन्ता का विषय है। इतनी दुर्दशा पहले कभी नहीं थी। मंडलियों, पेरिशों में अशांति, विभाजन और अन्य समस्याएं तो हैं ही। इसके अलावे वर्तमान असम अंचल सेक्रेटरी Mr. G. Tiru हमारी कलीशा को रिवाइबल मिशन में बदल रहा है। यह सब कुछ अंचल अफिसर की आड़ में खुले तौर पर किया जा रहा है। प्रार्थना के नाम पर सामुहिक तौर पर रुम समाज की तरह बड़ बड़ाना, बिल्कुल बैबल - विरोधी, कलीशा विरोधी संविधान और समाज - विरोधी काम है (मत्री 6:5-13)। अबकी पांच सौ वर्ष गुजर गए न डॉ० मार्टिन लूथर ने ऐसा सिखाया और न लूथरन आराधना की यह रीति विधि है। प्रार्थना के नाम पर इस प्रकार का ढोंडा और ढकोसला अगर रोका नहीं गया तो कुछ ही वर्षों में जी० ई० एल० कलीशा में विभाजन पड़ जायेगी या कलीशा पूरी तरह रिवाइबल मिशन में बदल जाएगा। मि० जी० तिणु क्या अपने को लूथर से भी बड़ा हिरो या सुधारक दिखाना चाहते हैं? इसे रोकना सभी लूथरन भाई-बहिनों का काम है। मि० जी० तिणु के घर में पारिवारिक प्रार्थना इसी रिवाइबल मिशन की रीति नीति पर होता है। बंठाभंगा मंडली में मि० जी० तिणु के निर्देश पर लूथरन आराधना गिर्जे में उलाट दिया गया है। उपदेश को छोड़ समूचा गिर्जा खड़े खड़े अन्त होता है। हाल ही में लखोमपुर पेरिश के हर मोती में युवा संघ सभा में भी रिवाइबल मिशन की नीति अपनाया गया। उसमें हमारे पाद्रीयों का कोई काम नहीं था-बाहर से बपतिस्त मिशन के अगुओं को बुलाया गया था। सवाल है, क्या हमारे कलीशा के पाद्री इतने निकम्मे हैं कि हमारे युवा-युवतियों को शिक्षा देने के लायक नहीं हैं? यदि ऐसा ही है, तो उन्हें कलीशा के काम से इस्तीफा दे देना चाहिए। हाल ही में मि० जी० तिणु, अंचल अध्यक्ष, पाद्री एस० कौनगाड़ी एन० उकड़ा कार्बी अंगलोग मिशन क्षेत्र रंगागोडा मंडलो में गए थे, वहां भी रिवाइबल मिशन का तरीका अपनाया गया। याद रहे कि मिशन क्षेत्र में नए मसीही हैं जिनको जैसा ढाला जाए वैसा ही ढाले जाएंगे। अगर यह रोका नहीं गया तो एक दिन हमें मिशन क्षेत्र से हाथ धोना पड़ेगा। दुनिया के हर जाति, समाज-संगठन की अपनी रीति-नीति और संस्कृति होती है जो उसके अस्तित्व की पहचान है। G. E. L. चर्च की भी अपनी रीति-नीति, शिक्षा-सिद्धान्त, विश्वास और संस्कृति है जो उसकी खास पहचान है जिनके बिना वह G. E. L. चर्च नहीं है। हमारे अंचल में मि० एस० मोहन, एस० जी० के सामने उनकी उपस्थिति में यह सब हो रहा है पर अध्यक्ष होकर भी वे इस विषय पर चुप हैं। हो सकता है वे भी इससे सहमत हैं या मि० जी० तिणु को रोकने का उसमें साहस ही नहीं है अगर उसको जी० ई० एल० चर्च के रीति-नीति शिक्षा सिद्धान्त पर विश्वास ही नहीं है और इसे तोड़ने में लगे हैं, तो उन्हें कलीशा के किसी पद पर रहना कलीशा को धोखा देना है। यह गोसनर चर्च है, गोर्सेन चर्च नहीं है।



हमारे संविधान में अध्यक्ष, सेक्रेटरी और खजांची का काम, कर्तव्य और अधिकार साफ दर्शा दिया गया है। पर देखा जाता है कि खजांची को किनारे किया गया है। असम अंचल के रुपयों का लेन-देन और बटवारा सेक्रेटरी मि जी तिडू और अध्यक्ष रेभ एस मोहन के बीच हो रहा है जो बिल्कुल असंवैधानिक है। वर्षों से अंचल का अपना बैंक एकाऊंट होते हुए भी वहां रुपये नहीं रखे जाते हैं। सब काम अध्यक्ष और सेक्रेटरी का निजी मामला बन गया है। इस समय अंचल का जो भी रुपया है और तेजपुर मिशन जमीन का दास चालीस हजार रुपया जो मि दयाशिल होरो से लिया गया है अंचल एकाऊंट में नहीं है जिसके विषय में अध्यक्ष और सेक्रेटरी को छोड़ किसी को कुछ भी मालूम नहीं है और न अंचल खजांची को मालूम है। सब काम गुप्त-चुप हो रहा है।

बैठाभंगा में बीते कुछ साल पहले फिशरी फार्म प्रोजेक्ट के लिए KSS से तेरह हजार रुपया का पहिला किश्ती दिया गया पर आज तक फिश फार्म नहीं बना। यह रुपया मि. जी. तिडू ने क्या किया वही जानता है। पर आजतक न तालाब का पता है और न उस रुपयों का किसी को कुछ मालूम नहीं।

असम अंचल अफसरों द्वारा प्रबंध में समाचार छपा है कि बैठाभंगा में अंचल का एक डिस्पेन्सरी है और खस्तान पाड़ा में एक उमिंग प्रोजेक्ट है। यह बिल्कुल सफेद भूट हैं इन मन गदन्त भूटे रिपोर्ट द्वारा कलीशा को गुमराह करके उनके नाम पर रुपया भौंसने का प्लान बनाया गया है।

अंचल का एस्वेपेडर गाड़ी ASD 500.1 अब अंचल की गाड़ी नहीं रह गयी है वह मि जी. तिडू के घर में उसकी निजी सम्पत्ति बन गयी है। उन गाड़ी के टायर-ट्यूब, पुते, सेक्रेटरी अपनी गाड़ी में लगा रहे हैं अभी गाड़ी की क्या हालत है सिर्फ वहीं जानते हैं। अध्यक्ष भी इस विषय में चुप हैं।

अंचल के अफसरों की रिपोर्ट पर KSS द्वारा Rev. CSB Horo, Rev. E Surin, Rev. M Guria, Rev. W Korkoria, Rev. N Sirka, Rev. S Tiru और Rev. R Timung पर दूसरे पेरिशो में घुस पैठ करने का दोष लगाया गया है जो सरासर भूट हैं और उनके प्रतिष्ठा को गिराना है। सच तो यह है कि अंचल द्वारा सेवकाई से वंचित किए गए मंडलियों को पूर्व प्रमुख अध्यक्ष Rev. M Tete के निर्देश अनुसार सेवकाई दिई जाती है। मंडलियों में सेवकाई रोकने की जगह वहां की समस्याओं को दूर करना उचित बात है। वहां की उचित मांगों को पूरा करना है। सेवकाई रोकना कलीशा का काम नहीं है।

अंचल अफसरों की रिपोर्ट पर KSS द्वारा Rev. N Sirka को सस्पेंशन में रखा गया है जबकि कलीशा के सामने उनपर कोई दोष नहीं लगाया गया है और न किसी अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया है। दस वर्ष पहले पुलिस केस था पर अभी कोई कार्रवाई नहीं है। केस चुप है। ऐसी हालत में Late Rev. M Tete Pr Adhyaksh द्वारा उन्हें सेवकाई कार्य में लगाया गया जो सेवकाई रहित मंडलियों में सेवकाई करते हैं।

ठीक इसी तरह वर्तमान प्रमुख अध्यक्ष Rev. CRS Topno और असम अध्यक्ष Rev. S Mohan पर भी Late Rev. M Tete प्रमुख अध्यक्ष के हत्या कांड के मामले को लेकर पुलिस केस है। और वे अभी जमानत पर हैं। अगर Rev. N. Sirka किसी मामले को लेकर सस्पेंड किये जाते हैं तो उसी आधार पर Rev. CRS Topno और Rev. S Mohan को क्यों सस्पेंड नहीं किया जाता है। वे अगर कलीशा में काम कर सकते हैं तो Rev. N Sirka क्यों नहीं कर सकते? देखा जाय तो मि. जी. तिडू भी Late Rev. M Teli के हत्याकांड के मामले में जड़ित हो सकते हैं क्योंकि Rev. Teli पर कोर्ट केस करने और उनकी मृत्यु पर पोस्ट मार्टम का विरोध किये थे। किसी की आँख का तिनका निकलने के पहले अपने आँख का लट्टा निकालना अच्छा है।

वर्तमान अंचल अफसर बीते समय के अध्यक्ष Rev. CSB Horo के समय अंचल द्वारा किए गए कामों और प्रबंधों को उलाटना ही अपना कार्यक्रम समझे हुए हैं। Tinsukia पेरिश जो उस वक्त गठन किया था वैसे ही Karbi Anglong मिशन क्षेत्र की सेवकाई का जो प्रबंध किया गया था उसे



भंग किया जाना, तिनसुकिया शोपिंग सेंटर के लिए किए गए प्रबंध को भंग करदा इसी का सबूत है। आज अंचल में कोई उन्नति मूलक कार्य नहीं पर कलीशा को टुकड़ा टुकड़ा कर फूट फाट, निष्प्रेमता और अशांति को ही बढ़ाया जा रहा है। पर अंचल मेम्बर और पाद्री वर्ग भी चुप हैं। अंचल में प्रभु की नहीं पर मि० जी० तिडू की उच्छ्रित थोपी जा रही है। उसको छोड़ और अनेक ऐसे काम हो रहे हैं जिनसे सिर्फ मि० जि० तिडू और मि० मि० एम० बर्ला का स्वाधे पूरा हो रहा है इससे कलीशा चाहे कुछ भी हो।

Adhyaksh Rev S Kongari Tinsukia से कही Transfer नहीं किए जा सकने वाले पाद्री बन गए हैं। वे बिना लाइसेन्स सादो दे सकते हैं फिर भी ठीक है। Rev. Kongari और Mr. V M Barla की दुर्नीति ही अपर असम की अशांति का मूल कारण है। अंचल अध्यक्ष Rev S Mohan को अंचल बने या बिगड़े इसकी कोई चिन्ता नहीं है। उन्हें मि० जी० तिडू ने बाहर से ले आया है अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। अंचल के अधिकांस भाई बहिन न उनको देखे हैं न जानते हैं। मि० जी० तिडू द्वारा थोपे हुए अध्यक्ष हैं उनका मतलब सिर्फ गिरमिट पूरा करना, वेतन लेना और अधिक समय तक रांची जाना है और असम के बजाय रांची में ही अधिक समय बिताते हैं। ऐसे में अंचल के भाई बहिनों की सेवकाई की आशा कैसे की जा सकती है।

अतः ऐसे अफसरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना ही उचित है जिससे अंचल चौपट होने से बच सके। अगर ऐसे अधिकारी इस्तीफा नहीं देते हैं तो भाई-बहिन कलीशा तथा अपनी सुरक्षा और सबके हित में अपनी व्यवस्था खुद करने को बाध्य होंगे।

Copy to प्रमुख अध्यक्ष, रांची

आपका विश्वस्त

दिनांक :

तिनसुकिया पेरिश का मसीहवर्ग

श्री मनमासीह हेमरोम	श्री बोवस हांसा	श्री पिटार हांसा	श्री जोहन हांसा
" मनीहर हांसा	" मती मरग्रेट हांसा	" मरकस कावा	" रेजान कावा
" प्रोमूद ट्टि	" हानुक आईन्द	" आब्राहम सुरिन	" निर्मल काछाप
" पौलुस नाग	" प्रेम हेमरोम	" मती शन्ती धान	" खुष्ट नाग
" सुशील धान	" मतियास हापा:	" जेम्स लिन्डा	" ग्रागुसहाय सोले
" वरनाबास सोले	" किरसुक आईन्द	" मती मेरो आईन्द	" इलियाजर मधु
" नेर्हामाया सोले	" सुलेमान तोपनो	" मनमासीह सारु पुती	" मंगल ओदेया
" सुशिल तोपनो	" आमुस सारु पुती	" सतियास	" याकुब आईन्द
" मिन्नन आईन्द	" समुएल नाग	" बिश्र मनाग	" सुशील नाग
" जकरीया नाग	" मती हीरा नाग	" यकुब मिन्ज	" जोहन मिन्न
" इमतीस मिन्ज	" सेवेयान पुती	" एप्रिल पुति	" विनोद पुति
" दयाल तोपनो	" जाहन तोपनो	" जुलियान तोपनो	" मती सुसारी तोपनो

#### घाघरा मण्डली

श्री मनसुक सोय	श्री जीवन सुरिन	श्री पौलुस लुगुन
" नाथनिएल टिर्क	" बिमल टिर्की	" जोहान सुरिन
" मति बेलिरानी सुरिन	" मती शन्तिधानी मुण्डु	" मती मनोनित सुरिन
" पौलुस बन्डि	" भारसाल गुडीया	" आन्द्रीयास सांगा
" आनटोनी सुरिन	" जोहान लुगुन	" सागुएल सुरिन
" सि० के० टिर्की	" दान मुडू	" जोलिल जोसेफ टिर्की।

श्री सुलेमान वारजो	श्री मती हुलासी तोपमी	श्री मनुमासीह वारजो	श्री मरसलन वारजो
„ मती खण्टीना गुडीया	„ मती मरसा लुगुन	„ तोमास वारजो	„ मती मनोनित हेम०
„ हेमलान वारजो	„ मती जुलीया वारजो	„ मती सल्यानी वारजो	„ सुष्ट वारजो
„ लेबी वारजो	„ सावान पुती	„ सेम पुती	„ जोज पुती
„ मती बाहसुनी लुगुन	„ लोरम पुती	„ इलियास पुती	„ मती विष्वासी मुन्डु
„ „ बिश्वासीमोय	श्री मती मावधानी आईन्द	„ मार्शल पुती	„ मनमासी पुति
„ „ सलमी लमगा	„ मती प्रेमी पुति	„ मती मगदाली पुति	„ मती रहीछ पुति
„ सुलिमान पुति	„ सुदर्शन पुती	„ मती खण्टीना	„ श्री आन्द्रीयासी
„ जुएल डांग	श्रीमती रहील लोमगा	„ मती हाता	„ सेवेयान सोए
„ अमुस सोए	श्री ईलियास सोए	„ मनुएल सोए	„ श्री मती खण्टीना मुन्डु
„ मती बहालेन लोमगा	„ ईसाक सोए	„ ईलियास सोए	„ रेजान गुडीया
„ वीनस गुडीया	„ सुलेमान गुडीया	„ श्रीमती नमन्ती गुडीया	„ कुलन पुति
„ नसीहदास डाहंगा	„ मती मरियाम डाहंगा	„ श्री इसहाक मुन्डु	„ पनरस मुन्डु
„ सेम मुन्डु	श्री मती किलिसीता बोटा	„ केनेय कन्डर	„ मती हीरा कन्डर
„ मती बेथी सोले	„ निर्मल पुति	„ मती बहालेन समाद	„ संतोस समाद
„ याकुब कन्डर	श्रीमती कृपा कन्डर	„ अमुस गुडीया	„ वेन्जामिन गुडीया
„ मती जसमौनी सुरीन	„ समुएल सोले	„ आन्दन नाग	„ जयमासीह नाग
„ „ हाना सांग	„ मती मुक्ता नाग	„ अन्द्रीयास नाग	„ श्रीमती एस्तर सोए
श्री नएल धान	„ जुसाव गुडीया	„ मनी एलिजाबेथ हेमराम	„ कालेव गुडीया
„ दाऊद पुति	„ बाबुएल मेरा	„ किलियो मेरा	„ मती हेलेन पुति
„ मंगल	„ किलिप बिश्वा	श्री मती हाना बिश्वा	„ आवेद पुति
„ मानसुक मुन्डु	„ आनन्द मासीह भेंगरा	„ „ जलीयानी भेंगरा	„ मती जुनाली भेंगरा
„ ईलियास नाग	„ लेबी नाग	„ दनिएल धान	„ मंगल पुति
„ मती मुक्ति पुती	„ दयानन्द पुती	„ आन्द्रीयास पुति	„ श्री अबिराम सांगा
„ इग्नेस बुड	„ जोहन लांगरी	„ पीतर लांगरी	„ असिशन कुजु
„ बिस्तार जाम्पीया	„ आनन्नी हेडे	„ पतरस तिगा	„ विश्राम तिगा
„ मछाकी पुति	„ प्रेम सहाय हेसे	„ इसुदास सोले	„ सुनी तिगा
„ नवीन होरो	„ नीमारजान काडुलना	„ बिमल मुन्डु	„ अन्तोनी हेडे
„ सुशील कान्डलना	„ विनोद भेंगरा	„ मिलन भेंगरा	„ मेरिना हेडे
„ प्रदीप मुन्डु	„ मिखेल हेडे	„ हवसाई साल	„ मनोहर सुरिन
„ जीवन पुरिन	„ सवन कछाप	„ जकरीया हांसा	„ निकुलास हासा
„ जोहन भेंगरा	„ बिजय तोपमी	„ फासिस सोले	„ मानसुक वारला
„ एसाव वारला	„ याकुब तोपमी	„ इलियाज रन्डा	„ गोस्नार रन्डा
„ जुसाव रन्डा	„ मानोहार सोय	„ ईलियाज कछाप	„ आब्राहम भेंगरा
„ आमोस भेंगरा	„ फिलमन भेंगरा	„ विश्वासी रन्डा	„ नाथनिएल भेंगरा
„ बोवस सोय	„ आब्राहम सांगा		

प्रिन्ट लेण्ड, तिनमुकिया

208 number  
Protested



# DIVISION OF SOCIAL ACTION (U.E.L.C.I.)

No. 1, First Street, Haddows Road, Nungambakkam, Madras-600 006.

Dr. K. RAJARATNAM, M.A., Ph.D. (London)  
Director

Rev. A.G. Augustine Jeyakumar BA BD.,  
Secretary DMD.

Phone : Off : 471676  
Res : 614621  
Grams : "CHRISNIEO"  
Telex : 41 6613 NIEO IN

Date...23.06.....19892.

Rev. J. Sanga  
Accountant  
KSS Office  
GEL Church  
Ranchi 834001  
Bihar.

Dear Rev. Sanga,

Sub: Andhra Relief Fund-information  
requested regarding-  
Ref: Your letter 01/'92/Accts dt: 10.6.1992

-----

Greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ.

Thank you very much for your letter cited and it is good to know that the Congregation had much interest to participate/the /in the relief programme through their contributions.

In this respect I would like to request you to kindly give me the following informations

1. On whose appeal this fund was raised? or is it a Voluntary Participation?
2. If you have any Correspondence on this; kindly share it with us.

If you kindly give us some guidelines then only we will be able to suggest to you. Meanwhile we are also trying to contact AELC etc...

With Kind Regards,

Yours Sincerely,

*Rev. Augustine Jeyakumar*  
Rev. Augustine Jeyakumar,  
Secretary.

cc: The Director, DSA.

AGA/pn.



Less the salary Rs 444-08 (Rupees four hundred  
forty four & Paise eight only) by office  
finance committee order.

absent for month of June &

July 1992.

  
2/9/92

To,

The Anti-Slavery Society

Subject: Payment of M. A. Khan.

Sir,

I have observed the account and there is a short of money in the Board of Proprietary account. So please send his payment what ever the ordered is given by Office Superintendent.

Sincerely Yours,

Rev. [Signature]  
25/6/52



Rev. J. Sampa

Please verify  
and pay some  
amount within bill  
~~and~~ advance taken.

8891  
25/9/92



$$19350 = 44$$

$$21202 = 00$$

---

$$40552 = 00$$

$$(-) 3500$$

# GOSSNER EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH

IN CHOTANAGPUR & ASSAM

( Registered Under Societies Registration Act. XXI of 1860 )

Vide No. 273-J of 30-7-1921

Rev. C.S.R. Topno  
M. A. B. D. M. Th.  
Pramukh Adhyaksh

Rev. S. Toppo  
B. A. L. Th.  
Up. Pramukh Adhyaksh

Shri J. S. Topno  
B. A. (hons) B. Ed.  
Secretary

Rev. S. K. Jojo  
B. A. B. Th.  
Treasurer

**Head Office :**  
G. E. L. church, Ranchi  
Bihar/India, Phone 23358

Ref. 92/Acctt.

Date 25.6.1992.

To  
The Manager,  
Canara Bank, Ranchi.

Sir,

Herewith is the resolution of the Kendriya Salahkari Sabha of Gossner Evangelical Lutheran Church in Chotanagpur and Assam in the meeting dated 22-25.6.1992 item No.

It was resolved that short term fixed/KDR be opened for six and nine months with Canara Bank in the name of G.E.L.C. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT CENTRE (BEL), for amounts of Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand only) and Rs. 1,00,000/- (Rs. one Lakh) only to be transferred from the SB A/C No. \_\_\_\_\_ with your Bank. These KDR may be renewed for further short period.

The account shall be operated jointly by the Director, BEL with either the Pramukh Adhyaksh OR the Treasurer of G.E.L. Church.

Their specimen signatures being as follows :-

1. Dr. C.K. Paul Singh,  
Director, BEL.

C. K. Paul Singh  
Director, BEL

2. Rev. C.S.R. Topno,  
Pramukh Adhyaksh.

Pramukh Adhyaksha

3. Rev. S.K. Jojo,  
Treasurer, GELC.

Treasurer

Yours sincerely,

Countersigned.

J. S. Topno  
25/6/92  
Secretary,  
G.E.L. Church, Ranchi.

Pramukh Adhyaksh,  
G.E.L. Church, Ranchi.

*Regd*  
**STATE BANK OF INDIA**

**DORANDA (0212)**

ALL LETTERS  
TO BE ADDRESSED TO  
THE BRANCH MANAGER

15.5.92 19

PRAMUKH ADYAKASH

No.                     

GEL Church

CR/30912

Main Road

Ranchi - 834001.

Dear Sir,  
Madam,

Being unable to obtain payment of the  
enclosed 77 1095 for Rs. 256866.58  
on CCO Bank.

for the reason given in the memo attached  
thereto, I beg to return it to you herewith.

The amount has been debited to your

CA

Account.

Yours faithfully,

*[Signature]*

Branch Manager.



# भारतीय स्टेट बैंक

डोरन्डा (०२१२)

सभी पत्र शाखा प्रबन्धक  
को सम्बोधित करें

19

क्रमांक

प्रिय महोदय,  
महोदया,

रु० \_\_\_\_\_ के लिए

\_\_\_\_\_ पर जारी \_\_\_\_\_ का भुगतान  
संलग्न ज्ञापन में दिए कारण से प्राप्त नहीं हो सका है, अतः इस  
पत्र के साथ उसे मैं लौटा रहा हूँ ।

रकम आपके \_\_\_\_\_ खाते में नामे डाल दी गई है ।

भवदीय

शाखा प्रबन्धक

State Bank of India Dorrando.

Pr

डी-10ए/D-10A/PAC

यूको बैंक

UCO Bank

Ranchi

शाखा

BRANCH

चेक वापसी ज्ञापन CHEQUE RETURNING MEMO

..... का चेक सं० .....

क्रमांक ..... के अन्तर्गत बताए गए कारण से वापस किया जाता है—

Cheque No. 771095 for Rs. 256,866/58

is returned for reason No. (19) .....

1. आहर्ता का हवाला दें।

Refer to drawer.

2. इस संबंध में व्यवस्था नहीं की गई है।

Not arranged for.

3. राशि की बसूली अब तक नहीं हुई है, कृपया पुनः प्रस्तुत करें।

Effects not yet cleared, please present again

4. जिस सीमा तक व्यवस्था की गई है, उससे अधिक है।

Exceeds arrangement.

5. पूरी राशि प्राप्त नहीं हुई है।

Full cover not received.

6. भुगतान आहर्ता द्वारा रोक दिया गया है।

Payment stopped by the drawer.

7. .... आदाता का परांकन अपूर्ण अपेक्षित है।

..... Payee's endorsement incomplete required

8. .... आदाता का परांकन अनियमित अपेक्षित है।

..... Payee's endorsement irregular illegible

9. परांकन के संदर्भ में बैंक की गारंटी पुष्टि अपेक्षित है।

Endorsement requires Bank's guarantee Confirmation

क्र०पृ०उ०/P.T.O.

अपूर्ण

10. आहर्ता के हस्ताक्षर भिन्न है ।

अपेक्षित

Drawer's signature incomplete  
differs  
required

11. दिनांक/अंकों/शब्दों में किए गए हेर-फेर के लिए आहर्ता के पूरे हस्ताक्षर अपेक्षित हैं :

Alteration in date  
figures requires drawer's full signature  
words

12. चेक कटा-फटा/उत्तर दिनांकित/गतावधिक है ।

Cheque is Mutilated  
post dated  
out of date

13. राशि शब्दों और अंकों में अलग-अलग है ।

Amount in words and figures differs.

14. रेखित चेक किसी बैंक द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

Crossed cheque must be presented through a Bank

15. चेक में अप्रासंगिक विषय निहित नहीं होने चाहिए ।

Cheque should not contain extraneous matter

16. सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

No Advice.

17. समाप्तोपन मोहरों का निरसण अपेक्षित है ।

Clearing stamps require to be cancelled.

18. आदाता के हस्ताक्षर की पुष्टि बैंक से कराना अपेक्षित है ।

Payee's discharge requires Bank's confirmation.

19. *che is incomplete Date.*

20.

दिनांक 14/5/92 19

Date

सहायक प्रबन्धक/Aatt. Manager



पंजीकृत  
REGISTERED



PL 3414  
22 MAY 92



Pramukh Adyakash  
G. E. L. Church.  
Main Road.  
Ranchi 834001

From :-  
STATE BANK OF INDIA  
DOKANDA 0212  
P.O. H. 00  
RANCHI 854002

G. E. L. Church Press Main Road, Ranchi

CHALLAN  
ORIGINAL

DELIVERY NOTE 514

DATE 22-4-92

Received the undermentioned goods

JOB NO. 01572

To K. S. S. Office Ranchi

Particulars	Quantity
Marriage Register	25/50 each Book

SIGNATURE



Rev. Manmasik Ekka : 90 Gurukul Lutheran Theological College  
and Research Institute  
94, Purasawalkam High Road,  
Kilpauk, Madras-600 010.  
April 11, 1992.

To

The Head Accountant  
K.S.S. Office  
G.E.L. Church Ranchi

Subject: Reimbursement of Travel Bill.

Dear Sir,

Ref: The letter of Pramukh Adhyaksha, dt 6-2-1992  
and to that effect my letter containing the  
Travel Bill dt. Feb. 14, 1992.

With reference to the letters referred above and on the  
basis of the assurance of the Pramukh Adhyaksha and our  
talk at Gurukul on 13/3/92 I should have received the  
D/D by this time. But since I have not received  
any further information in this regard, I request  
you to kindly look into the matter and do the  
needful in my favour. I shall be in Madras  
till the 20th of April 1992.

I shall be evergrateful to you for this act of  
kindness.

Thanking you

Sincerely yours,

M Ekka

11/4/92

Letter Recd on 14/4/92

Rev. Ekka

14/4/92

Rs. 1366-00

Sub by M.D.

or

# GOSSNER EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH

IN CHOTANAGPUR & ASSAM

( Registered Under Societies Registration Act, XXI of 1860 )

Vide No. 273-J of 30-7-1921

Rev. C. S. R. Topno  
M. A. B. D. M. Th.  
Pramukh Adhyaksh

Rev. S. Toppo  
B. A. L. Th.  
Up Pramukh Adhyaksh

Shri J. S. Topno  
B. A. ( hons ) B. Ed.  
Secretary

Rev. S. K. Jojo  
B. A. B Th.  
Treasurer

**Head Office :**

G. E. L. church, Ranchi  
Bihar/India, Phone 23358

Ref 13/92

Date 15/1/92

आदरणीय, पादरी एन. डाग

आप को नव बर्षा मुबारक,

यह पत्र आप को सूचना दी जा रहा है कि आपने आगस्त से अक्टोबर माह का पी. एफ. पहले रसीद न. 2475 में 100/- रुपया कम जमा किया है। अ

अतः आप से अनुरोध है कि जॉय करके हमारे कार्यालय में 100/- रुपया जमाकर दे' यह स्वयं आकर जमाकर सकते है। र्क कुपया इसे अति आवश्यक र समझे ।

धन्यावाद ,

Asstt. Accountant



By 155. - Papers are under 100 - blue only.  
Referred to East-Heath. Mr. S. Swann.

Done  
16/1/92



FULL K.S.S. MEETING

DATED : 22-1-92 to 25-1-92

RANCHI.

The meeting started with devotion led by Rev. M. Barjo Member KSS and Adhyaksh S.E. Anchal. Rev. C.S.R. Topno, Pramukh Adhyaksh who chaired the meeting while welcoming the member apprised them with the prevailing situation in the GEL Church in short and expressed his hope with confidence that the members present would take part active participation in the discussion.

2. Attendance : - The following members were present in the meeting.

1. Rev. C.S.R. Topno , Pramukh Achyaksh
2. Rev. Suresh Toppo , Up-Pramukh Adhyaksh
3. Mr. J.S. Topno, Secretary (KSS)
4. Rev. S.K. Jojo, Treasurer (KSS)
5. Mr. C.S. Tigga, Member (KSS)
6. Rev. T. Kispotta
7. Mr. V.M. Barla
8. Mr. M.D. Bage
9. Mr. G. Tiru
10. Rev. M. Barjo
11. Rev. Junul Topno
12. Mr. Jolen Dhan
13. Mr. Santosh Kerketta
14. Rev. S.Mohan M.G.
15. Rev. S. Kongari
16. Rev. C.A.S. Kandulna
17. Mr. U. Sanga
18. Mr. Alia Kerketta
19. Rev. Dr. C.K.Paul Singh , Co-opted

Mr. Niral Kongari member, S.E. Anchal and Rev. S. Kerketta Adhyaksh, Madhya Anchal have apology send as writing for their inability to attend the meeting for unavoidable reason. Mr. J.S. Topno has requested the KSS meeting to grant him leave for the session for some very urgent and unavoidable reasons which was granted. Thereafter Mr. G. Tiru member was unanimously elected to be the Recording Secretary and Mr. V.M. Barla was asked to assist him.

contd.....P/2.

As sufficient members required to form the quorum were found present. The chairman declared the meeting to be in order.

Item No. 3 : Matters from previous Minutes:

(i) Election of Board chairman (vide Item No. 2 (ja)

It was reported that Dr. P. Kerketta declined to take the responsibility to the chairmanship of the Board of Education on health ground. After some discussion Miss. Helen Bhengra whose name was proposed by Rev. J. Topno and seconded by Rev. S.K. Jojo was unanimously elected as chairman for the Board of Education. Her name is to be sent to all the Anchals for corroboration as required under provisions of the constitution.

(ii) Matter relating to Madhya Anchal (vide item 2 (jha)

It was reported that the direction to constitute a new managing committee for Khuntitoli High School has not yet been complied with. The members reiterated their earlier decision in this respect. Further 29 Acres of land said to be given to Khuntitoli High School be handed over to the Anchal and conciliation efforts be made with regard to pending court cases. Up-Pramukh Adhyaksh of the church and the Manager Properties shall visit Khuntitoli and settle all things.

(iii) Jatatoli Matter (vide Item 2 (Ta) : The matter could not be solved properly. Adhyaksh Madhya Anchal could not make himself available during the visit of the commission to Jatatoli. Some action had however been taken but without any positive result. It was decided that both the members of the commission, namely the Adhyaksh, Madhya Anchal and Adhyaksh N.W. Anchal should visit Jatatoli again and that Adhyaksh S.E. Anchal be requested to accompany them.

(iv) Statistieal Reports (vide item 3 (7) : Matter came up from Assam Anchal. It was decided that all the Anchals of the church including Assam Anchal be directed to submit correct and up-to-date census report to the KSS Office for record.

(v) Orissa Anchal report (vide item 3 (Ga) : Matter was decided to be taken up along with Adhyakshes report in item No.6 of the Agenda.

(vi) L.W.F. sponsored Exchange visit programme (vide item 4(4)

It was reported that Rev. M. Barjo, Rev. T. Kispotta and Prof. S. Kerketta have duly submitted their forms but no further information has been received by the office in this regard.

contd.....P/3.



(vii) Theology Trained Women (vide item 8 (8)) : It was reported that Mrs. Marian Minz has not yet made her opinion available to the office and that Mrs. Shanti Juliani Tuti and Ezabela Tirkey have been absorbed in Pracharak Training School (PTS), Govindpur and that the UELCI has also been informed accordingly. Similarly it was reported that Mrs. Shilwanti Topno has also been absorbed as women co-ordinator in Madhya Anchal w.e.f. January, 1992. Mrs. Promila Lugun who was to be absorbed in Assam Anchal as Mahila co-ordinator, declined the offer. It was decided that the KSS Office should find out a suitable Theology trained women for Assam Anchal at the earliest. Mrs. Promila Lugun has been offered to work in Orissa Anchal.

(viii) Financial Aid to Mahila Samities (vide item 8 (Anga)1,2)

The members from concerned Anchals regretted that the amount of financial help have not yet been released to the grantees concerned. It was decided that the KSS office should direct the Kalisya Mahila Sangh, Ranchi to deposit the sanctioned amount i.e. Rs 6000/- for Khuntitoli Plastic Katai-Bunai Project and Rs 5000/- for Joradia Mahila Samite immediately to the KSS office for disbursement to the grantee Mahila Samities.

(ix) Loans from Revolving Fund (vide item No. 8 (Cha))

It was reported that the sanctioned amounts of loans from the church construction Revolving Fund have not yet been released due to present financial stingency in the church.

(x) Inter Anchal Transfer T.A. of Rev. M. Horo (vide item 8(Cha))

The Inter Anchal Transfer find T.A. bill as submitted by Rev. M. Horo for a total of Rs 15000/- (Rupees fifteen thousand only) was considered to be requiring reverification. The Pramukh Adhyaksh, the Treasurer of the KSS and Mr. G. Tiru, member from Assam Anchal were requested to verify the bill and finalised the amount to be passed.

(xi) Bethesda Primary Teachers Training College Teacher for Pension benefit (vide item No. 8 (Ja)) : More clarifications required Mr. U. Sanga, member has been requested to collect the same from the institution.

Item No. 4 Report of Pramukh Adhyaksh : Pramukh Adhyaksh gave his report from which the following points came up : -

contd.....P/4.



- (i) CASA has decided to ask all the churches to donate some amounts towards the church Auxiliary and has fixed Rs 10,000/- for the GEL Church. The KSS is to consider the same.
- (ii) Out of 3 (three) KNH Homes, the one at Sundargarh is in very dilapidated condition which might be closed at any time. Efforts for improvement are however, being made.
- (iii) Youth programmes in the Centre : - Serious thought is to be made for re-istalising the youth department of the church particularly in the centre. It is decided that a convention of all the Anchal youth leaders particularly of Anchal youth organisation President or Director and the Secretaries and Treasurer be convened preferably during ensuing Kalisha Sangh meeting to form a Central Boady.
- (iv) Direct partnership : The Director G.M. be informed that the following Ilakas of the church have been selected to enter into a direct partnership with the Lutheran Churches in Germany : -
- (1) Assam Anchal - Lower Assam Ilaka.
  - (2) Orissa Anchal - Rajgangpur Ilaka
  - (3) Madhya Anchal - Khuntitoli Ilaka.
  - (4) N.W. Anchal - Ranchi Ilaka
  - (5) S.E. Anchal - Takarma Ilaka.
- (v) Women Ordination : - Reported that Miss. Basanti M.G. of J.E.L.C. is going to be ordained on 26-1-92. It was decided that a greeting message be sent to her under case of Rt.Rev.B.D. Bagh, Bishop J.E.L.C. Kotapad Orissa.

Item No. 5 : Financial Matter :

Statements of Receipts and Expenditures for period 1-4-91 to 31-12-91 of General Account and that of the Board for the same period as circulated among the members of the KSS during the session were taken up for discussion and after a prolong discussions subject to Audit verification. Mr. A. Kerketta and Rev. Kispotta both members of the KSS were deputed to meet Mrs. H. Tete wife of Late Rev. M. Tete to collect copies of vouchers and other documents connected with the Accounts of the KSS of period prior to the death of Late Rev. M. Tete.

contd.....P/5.

It was also decided that Rs 40,000/- (Maturity value Rs 53,796.00) presently kept in a fixed deposit accounts in the name of Dr. C.K. P. Singh, Director BEL be allowed to be kept in that accounts and in the same name with the date of its maturity i.e. till 10-2-1993.

Regarding release of loans of Rs 5000/- to Harmoti Joradia in Assam Anchal and Khuntitoli in Machya Anchal it was suggested that the amount be released as soon as the fund is available.

Regarding payment of Atampalan Dan to the centre, it was unanimously decided that the Anchals be asked to regularised the payments without further delay. Mrs. H. Tete as she was out in Assam State. It was suggested that the Hd. Account be asked to submit a statement of financial position for period from the date of death of Late Rev. Tete to 31st March 1991.

It was decided that (i) The Finance Committee should meet on the first day of every month and that the Secretary Property Board and Manager Property will also be the members of the Finance.

(ii) That the Accounts of Central Institution and the BEL be got audited immediately. (iii) That the Accounts of the Anchals should also be audited and copies of Audit Report be forwarded to the Central Office.

Budget for the Period 1-4-1992 to 31-3-1993 :-

Both the Budget in the Budget of the whole KSS (General Budget) as well as the Budget of the Board of Properties for 1992-93 were taken up for consideration. Following decision were taken :-

(i) Atampalan Dan : - The per family rate of Atampalan Dan @ Rs 5/- is allowed to be retained. Appeal should be made to general people for their regular payment and that the Anchals be asked to see that the Atampalan Dan is fully collected and remitted to the centre.

It was also decided that there should be a special appeal to those members of the church whose financial position is better for donation a special Atampalan Dan and that the copies of the appeals with signature of the KSS office be sent to the Anchals and the Anchals shall issue the appeals to such members.

contd.....P/6.



(ii) Head Accountant : - Decided that Mr. A. Barla, the Head Accountant of the KSS shall continue in his service only upto 31st March, 1992 during which he will have to complete all the pending accounting works for handing over the charge to his successor in perfect order.

Further it was decided that the present Head Accountant Mr. A. Barla should not make any financial transaction with immediate effect. Accordingly, it is unanimously resolved that henceforth the Bank Accounts of the KSS should be jointly operated by the Treasurer GEL Church whose signature shall be compulsory and either by the Pramukh Adhyaksh GEL Church or by Rev. J. Sanga, Accountant. This should be communicated to the Banks concerned.

(iii) After discussion following amendments have been made in the proposed Budget for the year 1992 - 93 of the G.E.L. Church in Chotanagpur & Assam, KSS Central Office :-

(A) Atampalan Dan income raised from proposed Rs 2,50,000/- to Rs 3,00,000/-

(B) New head of income introduced - Special Donation to church with Rs 50,000/- as estimated income.

(C) Contribution by Board of Properties raised from proposed Rs 1,50,000/- to Rs 2,00,000/-.

This raised the total income in the Budget from existing Rs 5,85,000/- to Rs 7,35,000/- .

On the expenditure side, (i) the staff salary & allowances has been reduced from the proposed Rs 1,77,060/- to Rs 1,57,000/- (ii) Gossner Theological College account has been corrected as to Rs 2,29,547/- . In this way the total expenditure including those of Theological College and Pracharak Training School has been fixed at Rs 9,51,030/- with a total deficit of Rs 2,16,030/-.

It was also decided that serious efforts be made to cover up the above deficit in due time.

Thus after thread-bare discussion the Budget of the G.E.L. Church in Chotanagpur & Assam for 1992 - 93 has been passed.

contd.....P/7.

Item No. 6 : Report from Anchal Adhyakshes :-

1. Report from Rev. M. Barjo, Adhyaksh, S.E. Anchal.

The Anchal Adhyaksh in his written report stated that a sum of \$500 DM is being sent by Gossner Mission for Andaman Church for its development. The Adhyaksh has also requested for a grant of Rs 25000/- loan for construction of the Jubilee building and that Cand. Siprian Jaria is to be ordained.

2. Assam Anchal : - Assam Anchal Adhyaksh, Rev. S. Mohan M.G. in his verbal report informed the members that serious efforts are being made to bring peace to the Anchal, to improve the administration and that the land allocation matter with Immanuel College has got to be settled immediately. He also stated that two candidates namely Candt. N. Lakra and Candt. B. Terrang are required to be ordained. Rev. N. Sirka (under suspension) is working among the divided group and that a letter written by Late Rev. M. Tete Ex-Pramukh Adhyaksh empowering 5 (five) pastors of the Anchal to extend pastoral services to the members of the desident group is to be withdrawn by the Pramukh Adhyaksh. He has also requested to allow the Anchal to print the urgent religious books particularly the song books.

3. North-West Anchal : - Reported that there are 45,000 Baptised members including 8 convert families from Muslim community and 40 ordained pastors in the Anchal. Evangelical works in Mission Field is being carried on satisfactorily. There is a problem in Jatatoli but efforts are being made seriously to solve it.

4. Orissa Anchal :- Verbally reported that the problem created by the divided group is still continuing which is to be solved in earnest by the KSS as early as possible.

5. Madhya Anchal : In the absence of the Adhyaksh, Mr. A. Kerketta, Member KSS was asked to give a short report. He reported that presently there are 3000 families 17713 Baptised and 9101 confirmed members 9 ordained pastors, 69 pracharaks and 1 Pracharika, 3 Middle English Schools, 1 High School and 5 Primary Schools in the Anchal. A punchayat Bhawan is proposed to be constructed in church land which requires formal decision. Jatatoli matter is being solved. M.C. of Khuntitoli School has not yet been found. School hostel construction is yet to be started.

contd.....P/8



Discussion & Decisions on the Report :-

(a) S.E. Anchal :- Rs 25,000/- required as loan for construction of Jubilee Buildings be collected from the amount since advanced to Shopping Centre at Chaibasa. Cand. Siprian Jaria is allowed to be ordained.

(b) Assam Anchal :- Decided that letter 5 pastors written by the then Pramukh Adhyaksh be withdraw immediately and copies of the letters to forwarded to other pastors who are encroching into other parishes shall also be forwarded with devotion to stop this unconstitutional activities. Pastors to whom the letter was addressed are Rev. C.S.B. Horo, Rev. E. Surin, Rev. M. Guria, Rev. W. Korkoria and Rev. M. Horo. Pastors who an to be copied an Rev. N. Sirka (under suspension) Rev. S. Tiru and Rev. R. Timung who is M.Field Supervisor.

(c) Orissa Anchal :- The dissident group of 8 pastors who have organised themselves as Swaiyan Sewak Sudhar Sangh etc. be directed to came to KSS Office Ranchi for counselling on 25th-2-92 (Tuesday) and the following members of the KSS should meet the pastors:

1. Rev. M. Barjo, Adhyakh S.E.A.
2. Rev. J. Topno, Member KSS
3. Rev. S. Kerketta, Adhyakh M|Anchal
4. Mr. C.S. Tigga, Member KSS
5. Mr. U. Sanga, Member KSS

8 pastors to be named by Orissa Anchal Adhyakh also be asked to be present during discussion.

(d) Madhya Anchal :- Decision already taken.

Item No. 7 - Report of the different boards.

(A) Board of E.V. & Literature: Report placed by the Director of BEL of BEL was read out and important point requiring consideration were taken up.

(i) Decided that the Reading Room cum Human Research Development Centre Building construction work be started and the Director BEL is authorised to find out the financial resources.

(ii) Decided that the land allotted for BEL Reading Room cum HRDC (etc) be provided immediately with drainage system and Property Board to take up the work.

contd.....|9

(B) Board of Theological Education :

(i) Decided that the College Agriculture land (peddy land) should continued to be cultivated the G.T. College. The KSS shall arrange for the future use of the said land from next year.

(ii) Pay Scale Revision Matter :-

Decided that Committee with the following members be formed to examine the existing pay scale of whole church workers including G.T.C. and the report with revised pay scale be submitted in the next KSS meeting.

Names are : - 1. Mr. U. Sanga

2. Dr. R. Dang, Principal, GTC

3. Adhyaksh, S.E. Anchal (Convenor)

(C) Board of Property:

All reccomendations as made and submitted by the Property Board to the KSS have been approved (see Anexuture (1)).

Regarding land leased out to Bible Society of India, it was decided that the annual lease rent be increased to Rs 2000/- per annum w.e.f. from the existing Jan. 1992 of Rs 200/-. Manager Property to take up the matter.

It was further decided that a total of 5 acres of land at Jharsugda is allowed to be sold as recomended by the Orissa Anchal in plots and that 10% of the sale proceeds be deposited to the KSS fund.

Regarding allocation of land to Governor Bihar for construction of hostel for Gossner by the Welfare Deptt. it was decided that plot required for the purpose be only separated and earmarked for the Gossner College for the Girl's hostel purpose. This shall be comunicated to the Gossner College.

(D) Board of Education:

All reccomendations made and submitted by the Board to the KSS have been approved, see Anexetur (2) . The proposed seminar for Headmaster and Headmistress for the Middle and High Schools is approved subject to availability of fund.

(E) Board of Higher Education:

(i) It was decided that the members of the Board should visit the Central Institutions within their respective Anchals from time to time.

contd.....P/10.



(ii) That report from the Head of the Institutions be called for and placed during future meeting of the Board. The report should include informations about availability of hostel facilities.

(iii) That Hostel Committees be formed by the Anchals/KSS officers as the case may be.

(F) Medical Board:

All the recommendations with minor modification have been accepted as given below :-

(i) Atleast one Medical Dispensary be opened in all Anchals should stand a dispensary at Baithabhanga with its own resources and submit report to the KSS.

N.W. Anchal shall study the possibility of opening a dispensary and bring formal proposal to the next KSS meeting.

(ii) The KSS should sponsor suitable candidates for training of doctors and nurses.

(iii) Amgaon Hospital be upgraded with nurses training school facility. Fund required for this should be found out by the KSS and that Dr. W.Horo should take initiative in this respect.

(iv) Full report regarding the possition of Purnapani Dispensary be called for by the KSS.

Item No. 8 : Matter from Ecuminical Bodies.

(i) B.C.C. - Verbal reports was placed by the up Pramukh Adhyaksh which was accepted.

(ii) L.W.F. - The Pramukh Adhyaksh report that Lutheran World Federation is going to meet in Madras in September 1992. Which shall be hoisted by UELCI.

It was decided that the proposals, if any, for contribution towards this end to be considered by the Finance Committee. of the KSS.

(iii) Report of NUCI matters were reported.

(iv) UELCI - Minutes of the joint accepted consultation meeting of the members of the KSS, Promotional Committee, Promotional Sub-Committee and the New Structure Committee held on 20 and 21st January 1992 was read out and proposals approved with minor modifications as below -

- (a) That there should be one constitution, one organisation, one membership and one fellowship in the whole G.E.L. Church.
- (b) That Anchals shall be called dioceses.
- (c) That there should be 5 dioceses in the whole church with specific geographical boundary.
1. Assam Dioces
  2. North West Dioces
  3. South East Dioces
  4. Orissa Dioces
  5. Central Dioces
- (d) That the present N.W. Anchal and the present N.W/GELC shall constitute one Dioces that is N.W. Dioces of the GELC.
- (e) There shall be a Moderator for the whole church whose Head Quarter will be at Ranchi.
- (f) That the Bishops of the Dioceses should be appointed by the Central Committee of the church for a term of 5 years who may however be reappointed. They are liable to be transferred to other Dioces.
- (g) That the Dioceses should enjoy maximum autonomy, that is autonomy in maintaining relationship with Mission partner abroad, right of ordaining pastors, etc. With regard to membership in Ecumenical Bodies in national and international level the Central committee of the GELC shall be the only authority to nominate the delegates. The Dioceses shall have power to represent in the regional ecumenical bodies.
- (h) That Bishops of Dioceses shall be constitutional Bishop (functional Bishops) and not Episcopal.

It was suggested that a formal resolution to draft a new constitution be passed and a committees to draft the same be constituted. Accordingly it was unanimously resolved that in view of the prevailing situation and changed circumstances in the church and in view of the fact that now it has become imperative on the part of the GELC to remodel the organisation and administrative structure of the church, a committee, to be called new construction drafting committee, be formed with the following members -

- (i) Rev. J. Topno - S.E. Anchal
- (ii) Rev. S.K. Jojo - Orissa Anchal
- (iii) Mr. C.S. Tigga - N.W. Anchal
- (iv) Prof. S. Kerketta - M. Anchal



- (v) Mr. G. Tiru - Assam Anchal
- (vi) Ranchi H.Q. Congregation Secretary or his nominee
- (vii) Miss. H. Bhengra - Mahila Sangh President
- (viii) Mr. U. Sanga - On behalf of the youth
- (ix) The Pramukh Adhyaksh of the church - Convenor.

All Anchal Adhyakshes who are not in the committee shall in consultant.

It was further resolved that the first meeting of the above committee be held in the last week of the month of March 1992.

Item No. 9 - Letters and Applications.

(i) Extension of services of Rev. N.E.J. Samad of Orissa Anchal is allowed for another one year upto 18-12-92 with effect from 19-12-91.

(ii) Higher Studies - Candidate N. Lakra and Candidat Ramjan are allowed to study B.D. subject to availability of Fund.

That for ordination of Candidate N. Lakra, Candidate B. Terang (both from Assam Anchal) and Candidate S. Jaria of S.E. Anchal be fixed in consultation with the Secretary of the church Ministerium.

Item No. 10 - Any Other Matter.

(1) Rev. N. Sirka (under suspension) matter - It was decided that Rev. N. Sirka, under suspension, Assam Anchal, be called for counselling to KSS Office on 25-2-92.

(2) Kalishya Sangh -

Decided that the Kalishya Sangh 1992 be held from 27th. to 29th March 1992, the arriving date being 26th of March 92 evening.

In this connection it was reported by the Pramukh Adhyaksh that 39150 Dm. is being made available to the church by G.M. for helping church workers etc. Finance Committee is authorised to consider if any amount out of the above grant could also be utilised for the Kalishya Sangh.

(3) Resolved that a monthly allowance at the rate of Rs 300/- p.m. be allowed to up-Pramukh Adhyaksh w.e.f. January 1992.

(4) It is decided that during all KSS and Kalishya Sangh meetings a Steno-cum-Typist be engaged on contract basis for recording purpose.

(5) Letter from Mr. J.S. Topno, Secretary, KSS - A letter dated 23-1-92 from Mr. J.S. Topno was read out by which he has requested to relieve him from the Secretaryship on health ground.

Decided that Mr. J.S. Topno be requested to continue in the office in view of the present situation in the church. And that the KSS should see that the Secretary is assisted in his work as and when required.

With vote of thanks to and the chair the meeting ended with prayer led by Rev. J. Topno.

Read and confirmed.

Sd/-

(Rev.C.S.R. Topno)  
Pramukh Adhyaksh  
25-1-92

Sd/. Mr. Gerson Tiru  
Recording Secretary  
25-1-92

Office of the K.S.S., G.E.L. Church, Ranchi.

No. 81/KSSS1 dated Ranchi, 3.3.1992.

To  
All Anchal Adhyaksh.  
All Ilaka Chairmen.  
All K.S.S. Members.  
All Head of Central Institutions, GEL Church.

Subject : Kalisha Sangh Meeting 1992.

Dear brothers in Christ,

Greetings.

As per decision of the K.S.S. in the Meeting held on 22.1.92 to 25.1.92, I have to inform you that the meeting of the Kalish Sangh will be held from 29.3.92 to 31.3.92.

1) The number of delegates allowed for Kalisha Sangh is as under :-

ARTICLE TWENTYTHREE.

KALISIYA SANGH (MAHASABHA)

The Kalisiya Sangh of the Gossner Church shall consist of members elected by the Anchal Sabha and the Anchal ministerium respectively. The Anchal Sabha shall elect the following number of members.

Assam	..	20
North West Anchal	..	30
Orissa	..	20
South East Anchal	..	30
Headquarters Ranchi	..	3
Khuntitoli	..	7
Total..		<u>110</u>

The Ministerium of the Anchal shall elect the following number of Pastors to be members of the Kalisha Sangh :-

Assam	..	10
North Western Anchal	..	15
South East Anchal	..	15
Orissa	..	10
Ranchi Headquarter Cong.	..	2
Khuntitoli	..	3
Total..		<u>55</u>

2x

2) The following will be the charges :-

(a) Registration	..	Rs. 10.00 per head.
(b) Mess charge	..	Rs. 90.00 per head.
Total	..	<u>Rs.100.00</u>

3) Arrival on 28.3.92 by 3.00 to 5.00 P.M.

Registration - 3.00 5.00 P.M. on 28.3.92.

29.3.92 - Forenoon Church Service.  
Afternoon - 2.30 PM Kalish Sangh Meeting.



Venue... Gossner High School Old Building.

Detail programme will be made available at the time of Registration.

4) Those attending full Session of the Kalisha Sangh will be entitled to claim T.A. All are expected to produce their Travel Ticket along with the T.A. bill.

With kind regards,

Yours sincerely,

*Popno.*

( Rev.C.S.R. Topno )  
Pramukh Adhyaksh,  
G.E.L. Church, Ranchi.

20	Assam
20	North West Anchal
20	Orissa
20	South East Anchal
3	Headquarters Ranchi
7	Khuntail
110	Total..

10	Assam
15	North Western Anchal
15	South East Anchal
10	Orissa
2	Ranchi Headquarters Cong.
3	Khuntail
55	Total..

The following will be the charges :-

Rs. 10.00 per head.	(a) Registration
Rs. 90.00 per head.	(b) Mess charge
Rs. 100.00	Total

Arrival on 28.3.92 by 3.00 to 5.00 P.M.

Registration - 3.00 to 5.00 P.M. on 28.3.92.

Forenoon Church Service. 29.3.92  
Afternoon - 2.30 PM Kalisha Sangh Meeting.



आज दिनांक 18.1.1992 को बोर्ड ऑफ प्रोपर्टीज की मीटिंग के. एस. एस. कार्यालय परिसर में 8 बजे सुबह हुई।

1. प्रार्थना :- आदरणीय प्रमुख अध्यक्ष, रेभ. सी.एस.आर. तोपनो की अगुवाई में प्रार्थना हुई एवं मीटिंग आरम्भ किया गया।

2. उपस्थिति :-

1. रेभ. सी.एस.आर. तोपनो, प्रमुख अध्यक्ष
2. श्री. जी. तिडु, चेयरमैन
3. रेभ. जे. तोपनो, सचिव
4. श्री. वी. मिंज, म. अं.
5. श्री. सी. एस. तिगा
6. श्री. ई. वारला, उ. अं.
7. श्री. याकुव समद, उ. अं.
8. श्री. भी. एम. वारला, अ. अं.
9. श्री. वी. एस. बागे, मैनेजर

चेयरमैन का स्वागत - सचिव की अर्जी से प्रमुख अध्यक्ष ने बोर्ड ऑफ प्रोपर्टीज के चेयरमैन श्री. जी. तिडु का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्री. तिडु के सुयोग्य नेतृत्व में बोर्ड ऑफ प्रोपर्टीज कलीशा के जयदाद की देख-भाल सही रू. से हो-गी। उन्होंने श्री. तिडु को चेयरमैन का पद स्वीकार करने के लिये धन्यवाद दिया।

सचिव ने प्रमुख अध्यक्ष को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इसके पूर्व के मीटिंगों में अगुवाई एवं मार्गदर्शन किया।

इसके बाद प्रमुख अध्यक्ष दूसरे मीटिंग में शामिल होने के लिये चले गये।

4. रिकार्डिंग सेक्रेटरी का चुनाव :- सचिव के अनुरोध पर श्री. वी. एस. बागे, मैनेजर को सर्वसम्मति से रिकार्डिंग सचिव चुना गया। श्री. वी. एस. बागे ने धन्यवाद से यह भार ग्रहण किया।

5. कार्य सूचि की स्वीकृति :- सर्वसम्मति से कार्य सूचि स्वीकार किया गया।

विगत बैठकों की मिनटों की सम्पुष्टि हो चुकने के कारण कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया।

खर्च 8 को एक साथ विचार करने का निर्णय लिया गया - तद् अनुसार :-

1. कलज रोड, राँची की तरफ का घेरा को उखाड़ कर एवं मरम्मत करने का खर्च 94,334.10 रु. हुआ है। चूंकि यह खर्च लगभग एक लाख सौ है, अतः ऑडिट के लिये कम से कम और दो एस्टीमेट प्राप्त करा लेना उचित होगा। इस निर्णय के बाद यह खर्च स्वीकृत किया गया।

पी. टी. ओ.

2. लाल बंगला अहाता में प्रस्तावित गेस्ट हाउस को के. एस. एस. ऑफिस परिसर में बनाने का निर्णय स्वीकार किया गया ।
3. कलब रोड में नौ व्यक्तियों को जमीन आवंटित किया गया है -  
5 भूमिखंड का मासिक किराया प्रति खंड 45.00 रु. , 4 भूमिखंड का मासिक किराया 50.00 रु. ठहराया गया है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति से 3000.00 रु. "तीन हजार सौ मात्र " रिफंडेबल सेक्यूरिटी राशि ली गई है। सभी का लीज डीड हस्ताक्षर हुआ है । इसे स्वीकृत किया गया ।
4. "क" ड्राइवर सह पियुन के पद पर श्री. नवीन कुजुर को के. एस. एस. द्वारा निर्धारित वेतन-मान पर दिनांक 2.12.91 से नियुक्त किया गया है ।

"ख" सुयोग्य व्यक्ति नहीं आने से अमीन पद पर नियुक्ति नहीं की गई । पत्रांक 6/92/एस.ई.ए. दिनांक 14.1.92 द्वारा अध्यक्ष, दक्षिणी-पूर्वी अंचल ने सचिव, बोर्ड ऑफ प्रोपर्टीज को सूचित किया है कि पाद्री. एम. होरो ने अमीन पद पर कार्य करने के लिये अपनी सहमती दी है । उन्हे पदभार संभालने के लिये 1.2.92 से विरामित करने का निर्णय लिया गया है। सदस्यों ने धन्यावाद के साथ इसे स्वीकार किया ।

5. पुरुलिया केस :- पुरुलिया में पदास्थपित लैंड रेभेन्यू आफिसर ने अपने निर्णय में लिख दिया कि चर्च जमीन उरवन लैंड सीलिंग के अन्तर्गत आता है और 9 एकड़ जमीन सरकार को हस्तान्तरित कराना होगा ।

इस निर्णय के विरुद्ध कलकत्ता हाई कोर्ट में इन्जक्शन दायर किया गया, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है । हाई कोर्ट केस में अब तक 3000.00 रु. "तीन हजार सौ मात्र " खर्च हुआ है ।

"क" तुजुर जमीन का केस :- अनाधिकृत स्म में दखलदार कुम्हारों को चन्दी बना लिया गया एवं जमीन पर स्थानिय जी. ई. एल. चर्च के मस्तीहियों ने अपना दखल ले लिया है। इसमें अब तक 4000.00 "चार हजार सौ मात्र " खर्च हुआ है ।

"ख" उदयपुर केस - इस केस में अब तक 2000.00रु. "दो हजार सौ मात्र " खर्च हुआ है । पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है ।

वरोकित्ता के जमीन का केस - अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है । सचिव ने सूचना दी कि अभी तक केस शुरू नहीं किया गया है ।

"घ" चुटुपालु की जमीन - किसी प्रकार के प्रोजेक्ट शुरू करने की संभावना नहीं है । मैनेजर द्वारा सुभाव आया कि गिजाघर, गिजाघर से सटा आवास एवं कुछ भूमि को घटाकर शेष जमीन को विक्री कर दिया जाय । सुभाव स्वीकृत किया गया एवं मैनेजर को कहा गया कि वे स्थानीय हमारे कमीशा के भाई से बात चीत करइस कार्य को आगे बढ़ावें ।

"ड." वाईवल सोसाइटी ऑफ इंडिया - विहार ऑजीलियारी को आवंटित जमीन में नये भवन के लिये शिलान्यास किया गया है । लेकिन बोर्ड ऑफ प्रोपर्टीज को औपचारिक पत्र नहीं दिया गया है । निर्णय लिया गया कि अच्छी मस्तीही बनाये रखने के लिये सचिव, वै. तो. ऑफ इंडिया, राँची को लिखा जाय कि वं औपचारिक पत्र दें तथा यह भी निर्णय लिया गया कि किराया की राशि बढ़ाने के लिये भी लिखा जाय ।



"7" प्रमुख वंगला के लिये विनोद हेमरोम को विल्कुल अस्थायी रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अंततः तौषण्यजनक पाया गया। अतः श्री. जे. एस्. तोपनो के माध्यम से दानियल तोपनो को माली सलू पियुन के पद पर दिनांक 7.1.92 से प्रमुख वंगला के लिये रखा गया है। काम संतोषजनक होने पर औपचारिक नियुक्ति की जायगी।

"8" निम्न व्यक्तियों को पावर ऑफ आटर्नी दिया गया है :- अतम अंचल - श्री. जी. तिडु, उड़ीसा अंचल - सुन्दरगढ़ के लिये - पाटली सुलेमान जोजो। मध्य अंचल - खुटीटोली - श्री. श्लीया केरकेटा।

सचिव से अनुरोध किया गया कि वे स्वयं अतम अंचल जा कर वहां के जमीन को सुआयना करें एवं आवश्यक सुझाव दें।

"9" प्रमुख वंगला में ल जल आपूर्ति के लिये पानी पम्प लगाने का निर्णय लिया गया। टी. टी. सी. से प्राप्त संभावित खर्च के अनुसार मोटर पम्प, पोलिथिन पाईप एवं जी. आई पाईप पर 8649.00 रु. आता है। पानी टैंक एवं ग्राम-व्यय अतिरिक्त खर्च होगा। इसे अनुमोदित किया गया।

"10" लाल वंगला का सफाई किया गया एवं उतरी वरामदा को दो कमरों में बदला गया है। इसे अनुमोदित किया गया तथा सुझाव दिया गया कि अन्य आवश्यक सुधार समयानुसार किया जाय।

"11" निम्नलिखित को लीज दिया गया जिसे अनुमोदित किया गया।

"क" भारत वेकरी, मेन रोड राँची को 1667 वर्ग फीट वर्तमान दुकान के पूरव में दिया गया। मासिक किराया 416.00 ठहराया गया है। अप्रत्यर्पणीय राशि 12000.00 "चारह हजार मात्र" लिया गया। लीज अवधि 20 वर्ष है। हर दस वर्ष पर 10 प्रतिशत किराया में वृद्धि होगी।

"ख" कवलजीत सिंह, कल्व रोड, राँची को 160.00 रु. मासिक किराया पर एवं अप्रत्यर्पणीय राशि 8000.00 "आठ हजार मात्र" पर 20 वर्षों के लिये लीज दिया गया है। हर दस वर्ष पर 10 प्रतिशत किराया में वृद्धि होगी।

"12" "क" एस्. के. ओटो सर्विस, मेन रोड, दिल्ली फरनिशर एवं श्री. मोहन कुमार कपूर, कल्व रोड राँची को शीघ्र ही लीज दिया जायगा।

"ख" चर्च रोड के किरायेदारों को मैनेजर के पास आकर अपना किराया तय करा लें - इस आशय की नोटिस भेज दिया गया है।

"ग" 1. वकील से सलाह ले कर जी. इ. एल. शोपिंग कम्प्लेक्स के उन दुकानदारों को नोटिस दिया गया है जिन्होंने अब तक अपना कारोबार शुरू नहीं किया है।

2. ए. सी. मार्केट के दुकानदारों को कारोबार शुरू करने की सूचना दी गई है।

इन बिन्दुओं को अनुमोदित किया गया।

पी. टी. ओ.

13. कल्व रोड अवस्थित श्री. एस्. भेंगरा, भेंगरा इंजिनयरिंग के मालिक ने 1800 वर्ग फीट और जमीन आवंटन करने की अर्जी किई है। निर्णय किया गया कि इसके औचित्य को देखते हुए तथा और दूसरे आवेदकों को मदेनजर रखते हुए ही और जमीन आवंटन करने की प्रक्रिया पूरी की जाय।
14. "क" यू. एल. सी. 395/76 पर डी. सी. राँची ने व्यवस्था दिया है कि जी. इ. एल. चर्च की जमीन शहरी भूमि हतवन्धी के अन्तर्गत आता है। इस निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट करने की प्रक्रिया जारी है।  
"ख" डी. सी. राँची द्वारा लीज निवन्धन पर लगाये गये रोक को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
15. "क" प्रमुख अध्यक्ष के चेम्बर में शौचालय का प्रवन्ध कर दिया गया है तथा एक सोफा सेट "कीमत 3000.00 रु. तीन हजार सैया मात्र" दिया गया है।  
"ख" के. एस्. एस्. कार्यालय का पाटीसन किया गया एवं विजली लाइन पुनः लगाया गया है। प्रमुख वंगला में छोटा मोटा काम कराया गया है, इनको अनुमोदित किया गया।
16. के. एस्. एस्. कार्यालय परिसर का भवन निर्माण-मकान के ढहने की स्थिति के कारण मकान मरम्मत करते समय सदस्यों के सुझाव पर पक्का मकान बनाने का निर्णय लिया गया। काम अतिआवश्यक होने के कारण एक ही व्यक्ति से एस्टीमेट करा कर काम शुरू किया गया। अब श्री. सी. एस्. तिगा के माध्यम से नापी करा कर मूल्यांकन कराया गया है। इस बीच काम रोक दिया गया था। ठीकेदार का मूल्यांकन नापी किये मूल्यांकन के अन्दर आता है। निर्णय लिया गया कि इस रिपोर्ट के आधार पर राशि का भुगतान कर दिया जाय तथा शेष काम का भी मूल्यांकन करा कर काम पूरा कर दिया जाय। मैनेजर ने सूचित किया कि भवन का नक्शा तैयार करा लिया गया है। नक्शा तैयार बनवाने का खर्च 500.00 रु. "पाच सौ सैया मात्र" आया है। इमप्रूवमेन्ट ट्रस्ट राँची से नक्शा पास करा कर एवं एस्टीमेट तथा टेन्डर लेकर ही शेष भवन को पूरा किया जायगा।
17. दुर्ग अभियन्ता द्वारा दखल जमीन - अन्डर सेक्रेटरी, रक्षा विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 11119 "लैंड" दिनांक 29.12.69 का हवाला देते हुए डिफेन्स एस्टेट ऑफिसर दानापुर कैंट को जमीन वापस करने के बाबत में पत्र लिखा गया था। स्मरपत्र देने पर उन्होंने जमीन वापस नहीं करने की बात लिखी है। इस पर अब डाइरेक्टर डी. इ. रक्षा विभाग, सेन्ट्रल कमान्ड लखनऊ को उपर्युक्त पत्र का हवाला देकर जमीन वापसी का पत्र भेजा गया है। अभी तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इस विन्दु पर प्रयास जारी है। अनुमोदन करते हुए सदस्यों ने जमीन वापसी पर जोर दिया।

पी. टी. ओ.



18. रेम. डा. सी. के. पौल सिंग द्वारा अधिकृत जुविली वंगला - विभीन्न अवसरो पर डा. सिंग भवन में 34416.00 रु. खर्च किये हैं। उस भाग का मकान किराया 25.00 रु. मासिक है। 1990 से मकान किराया को बढ़ाकर 250.00 रु. मासिक किया गया है। इस पर डा. सिंग ने एतराज किया है। उन्होंने अपने पत्रांक 31/वी.इ. एल/91-3 दिनांक में दर्शाया है। फिर मेमो न. 77/91 दिनांक 4.11.91 द्वारा भवन की सफेदी एवं दरवाजों, खिड़कियों एवं गिल कींगाई की बात रखी है। पत्रांक 116/91/पी. वी.-14 दिनांक 4.11.91 के द्वारा सफेदी एवं रंगाई कार्य को अगले बोर्ड ऑफ प्रोपर्टीज के मीटिंग तक लम्बित रखने की बात कही गयी।

उपयुक्त बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि मकान किराया 250.00 रु. मासिक रखा जाय। किराया का पचास प्रतिशत जमा हो और 50 प्रतिशत किये गये विगत खर्च अदायगी में समंजन किया जाय। यह निर्देश दिया गया। कि भविष्य में बोर्ड ऑफ प्रोपर्टीज के अनुमोदन के बाद ही मरम्मत आदि किया जाय।

9. मध्य अंचल - सुखिया, ग्राम पंचायत, छुटीटोली ने खाता न. 78 प्लोट न. 704 में से 15 डिंसमिल जमीन पंचायत भवन बनाने के लिये अर्जी भेजी है। अर्जी को अंचल कार्यकारिणी समिति के निर्णय पर विचार हेतु अध्यक्ष, मध्य अंचल ने बोर्ड ऑफ प्रोपर्टीज को भेजा है।

विचार - विमर्श के बाद मैनेजर को निरीक्षण कर रिपोर्ट करने का भार दिया गया। सचिव एवं मैनेजर को रिपोर्ट के अनुसार कार्य करने को अधिकार दिया गया।

10. निर्णय लिया गया "क" - 1-4-92 से श्री. सुरसेन सुरिन को बोर्ड ऑफ प्रोपर्टीज का हिसाब - किताब रखने का भार दिया जाय इसलिये हम बोर्ड ऑफ प्रोपर्टीज के इनकम और एक्सपेन्डीचर को सभी जान सके तथा सुश्री. जिनिद सुरिन अकाउन्ट - असिस्टेन्ट का कार्य भी करे।

"ख" सचिव, बोर्ड ऑफ प्रोपर्टीज एवं मैनेजर को फाईनन्स कमिटी में रखा जाय।

"ग" प्राचार्य, गोस्सनर थिओलोजिकल कॉलेज ने अपने पत्रांक 22/92 दिनांक 17.1.92 द्वारा कॉलेज परिसर के भौचालय को सुधारने की अर्जी दी है। सिद्धान्तः इसे स्वीकार करते हुए प्लान एवं एस्टीमेट को विचार करने हेतु मैनेजर को भार दिया गया। औचित्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। यह कार्य मई-जून 92 तक पूरा करने का निर्णय किया गया।

11. रेम. जे. तोपनो, सचिव द्वारा प्रार्थना के साथ बैठक समाप्त की गई।

एस.डी/ श्री. वी.एस. वागे

18-1-92  
रिर्काइडिंग सेक्रेटरी

रीड एण्ड कनफरम्ड

एस.डी/ श्री. गरसोन तिड्ड  
चेयरमैन

एस.डी/-रेम. जे. तापनो  
सेक्रेटरी

बोर्ड ऑफ प्रोपर्टीज

18-1-92

MELTING OF THE BOARD OF THEOL. EDUCATION

19-1-1992

- (i) Prayer : Opening prayer held by the Chairman of Board Rev. C.S.R. Topno, Pramukh Achyaksh, Singing S.B. 165.
1. Attendance : The following signatories were present from different Anchals.
1. Rev. C.S.R. Topno, Chairman
  2. Rev. A.B.N. Mahto, N.W. Anchal
  3. Rev. S.Mohan M.G., Asaam Anchal
  4. Rev. J. Bage, Orissa Anchal
  5. Rev. N. Surin, N.W. Anchal
  6. Rev. S. Kongari, Assam Anchal
  7. Rev. Dr. R. Dang, Invitee Member
  8. Rev. J. Dang
  9. Rev. M. Barjo, S.E. Anchal, Secretary
2. Matters from previous minutes :- It is notified that Rev. J. Dang H/M. P.T.S. is included in the membership of G.T.C. Council. But College Council has nominated Rev. S.K. Jojo Treasurer, KSS as a member of the council. After discussion it is resolved that Rev. J. Dang will be an invitee member in the college council.
3. Matters from College Council : - Report of college council meeting dated 18-1-92 was placed in meeting by chairman.
- (a) Agricultura matters :- The council meeting has decided that agriculture land cultivated by G.T.C. should be handed over to the KSS as it is running in deficit. It was also reported by Principal that the servants, engaged in agriculture duty have already rejoined. The members discussed the matter, and resolved that the agriculture department should be continued for this year 1992 i.e. session 1992-1993.
  - (b) KSS financial full support to the students :- The council has taken resolution (decision) for financial full support to the Theological college student by KSS. The matter was discussed and resolved the followings.  
That : (i) That resolution of the college council meeting dt.18.1.92 for financial support of the students be forwarded to the KSS with recommendation for needful.

contd.....P/2.



(ii) That the admission of five students : Number of students be reduced from 8 to five henceforth every year.

(iii) That the donations such by the Ilaka, Parishes friends and well wisher will be received by the college. But the account of the ammount must be reported to the treasury department KSS.

(iv) Budget of the college G.I.C. : - The annual budget for the year 1992 was placed in the meeting. The total amount of the budget is Rs 4,24,227.00 (Rupees four lac twenty four thousand two hundred twenty seven) only. The budget is already passed by the college council. Resolved that the budget approved by the college council be forwarded to the KSS with recommendation for needful. In the meantime it was also noted that the total amount of fee income being received from the GELC students may be reduced from the budget.

4. Matters from P.T.S. & T.B.S. Govindpur : A short verbal report was presented by the Headmaster of these central institution.

(i) Headmaster Rev. J. Dang reported that the three institution, Pracharaks Training School, Tabita and Buniyadi Bible Training School and New Life Light Centre have been joined in one and functioning under one headmaster from Jan. 1991. The teacher have prepared the syllabus and are teaching the students accordingly. Students are progressing in leading liturgy and delivering the sermon. Practical experience programme is also conducted jointly with Ilaka and other institutiin i.e. Viswavani. It was also reported the ex. H/M. Reb. M. Jojo has yet not handed over the charge of institution to present H/M. Rev. J. Dang. This matter is already taken up by the M/C.

Other reports from College :- Extract from the minutes staff meeting was reported by (read out) by the Princiapl.

(1) Standered of the student for admission in the college. As per the requairment of senate the academic qualification of the student is Intermediate pass, with one year practival expereince.

(2) Admission of the lady candidate student in the college. It was reported by Principal that a scholarship for two lady candidate will be available as per information received from the Director Gossner Mission Berlin. But in the same time it was also reported that some quarter are accupied by the others. Now it is a problem of accomodation for lady candidates : - Resolved that KSS be requested to build a quarter for accomodation or vacate the quarters

contd.....P/3.



## शिक्षा पर्षद की बैठक

दिनांक 18-1-92 को प्रमुख अध्यक्ष के कक्ष में शिक्षा पर्षद की बैठक पाद्री सी. एस. आर. तोपनो, प्रमुख अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्राथना के साथ आरम्भ हुई।

2. बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए : -

पाद्री सी. एस. आर. तोपनो, प्रमुख अध्यक्ष

श्री. जे. एस. तोपनो, सचीव शिक्षा पर्षद

श्री. पी. डी. कन्डुलना, सदस्य - मध्य अंचल

पाद्री आई. किन्डो, सदस्य - उत्तरी-पश्चिमी अंचल

श्री बी. के. हेमरोम, सदस्य - दक्षिण पूर्वी अंचल

श्री गेरसोन तीडू, सदस्य - अस्ताम अंचल

श्री वी. एम. बारला, सदस्य - अस्ताम अंचल

बोर्ड के अन्य सदस्य नहीं पहुँच पाये। उनसे सभा में नहीं आ सकने की कोई लिखित आवेदन नहीं आया।

कार्यवाही में बढ़ने के पूर्व सदस्यों को जानकारी दी गई कि निर्वाचित बोर्ड के चेयरमैन डा. पौलुस केरकेटा से आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन पद को लेने में अस्मति प्रकट की है।

3. गत बैठक की कार्यवाही से आनेवाले विषय : -

विद्यालयों से प्रगति - भेजने के संबंध में : - रिपोर्ट दी गई कि केन्द्रीय कार्यालय से एक विशेष फरफोरमा में विद्यालयों से रिपोर्ट माँगी गई थी परन्तु कुछ विद्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इस विषय पर खेद व्यक्त करते हुए विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि जिन विद्यालयों से प्रगति-रिपोर्ट नहीं आयी है वे फरवरी के अन्त तक रिपोर्ट भेज दें। इस संबंध का पत्र विद्यालयों में भेजा जाये।

4. धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने के लिए सिलेबस कमिटी का गठन :- धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने पर पर्षद में बल दिया गया। विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय लिया गया कि वर्ग प्रथम तक धार्मिक एवं नैतिक विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाये। ख्रिस्तान छात्र-छात्राओं को बैबल कटेखिस्म, गीत-भजन की शिक्षा दी जाये और अख्रिस्तान बच्चों को नैतिक विषय पढ़ाया जाये। धार्मिक शिक्षा के लिए एक सिलेबस कमिटी बनायी जाये जिसमें निम्न सदस्य रहेंगे : -

1. पाद्री. जे. डांग, प्रधानाध्यापक, प्रचारक ट्रेनिंग स्कूल गोबिन्दपुर।

2. श्री. बी. के. हेमरोम, प्रधानाध्यापक, प्लाथपुर उच्च विद्यालय "कोनमेनर"

3. पाद्री. ओनोन डुंगडुंग, सहायक शिक्षक, गोस्तनर उच्च विद्यालय राँची।

यह भी निर्णय लिया गया कि सिलेबस प्रयोगात्मक एवं जीवंत बनाया जाये। सिलेबस कमिटी, बैबल, कटेखिस्म, साक्षीबाणी को सामने रखते हुए वर्ग प्रथम से वर्ग दशम तक के लिए सिलेबस बनावे। सिलेबस 31 मार्च, 1992 तक तैयार हो जावे।

पर्षद सदस्यों द्वारा महसूस किया गया कि धार्मिक एवं नैतिक विषयों की पढ़ाई की सफलता के लिए प्रधानाध्यापकों से विचार-विमर्श करना आवश्यक है।

पी. टी. ओ.

विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय लिया गया कि मध्य एवं उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापिकाओं की एक गोष्ठी कलीसिया-स्तर पर बुलायी जाये जिसमें विद्यालय संचालन, अनुशासन, विद्यालय यूनिफॉर्म, धार्मिक विषय की पढ़ाई पर चर्चा की जाये।

5. गोस्तनर कलीसिया के विद्यालयों के संचालन के लिए संविधान का गढ़न :- रिपोर्ट दी गई कि विद्यालय संचालन के लिए सभी कलीसियाओं का एक नियमावली "कनसिटी-युशन फोर एडुकेशन इनस्पीट्रियन ईटाविलिस्ट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड की क्रियन रिलेजियस माईनोरिटी बोर्ड्स/ऑरगनाइजेशन इन बिहार" है। इसी नियमावली से सभी विद्यालय संचालित होते हैं। इसके रहते उस भी और-और कलीसियाओं ने अपने विद्यालयों को संचालित करने के लिए नियमावली बनायी है। अपनी कलीसिया के विद्यालयों के संचालन के लिए नियमावली बनाना आवश्यक जान पड़ता है। निर्णय लिया गया कि नियमावली बनाई जाय। नियमावली बनाने के लिए एक समिति निम्न सदस्यों की बनायी जाय :-

1. श्री. बी. एस. बागे
2. श्री. एम. पी. कोनगाड़ी
3. श्री. बी. के. हेमरोम
4. श्री. जे. एस. तोपनो "कोनभेनर"

6. गोस्तनर कलीसिया के शिक्षण संस्थाओं में समानता लाने के संबंध में :- "क" विद्यालय यूनिफॉर्म :- विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय लिया गया कि गोस्तनर कलीसिया में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक ही रंग का यूनिफॉर्म हो जो पहचान के लिए रहे। पर्यटन इसके लिए निम्न प्रस्ताव रखता है :-

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| लड़कों की शर्ट | - सफेद रंग      |
| पैट            | - हल्का हरा रंग |
| लड़कियों का    |                 |
| ब्लाउज         | - सफेद रंग      |
| स्कर्ट         | - हल्का हरा रंग |

लड़कियों की साड़ी- हल्का हरा रंग बोंडर की साड़ी

यूनिफॉर्म-विषय को प्रधानाध्यापक - गोष्ठी में फिनालाईज्ड किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि विद्यालयों में पढ़ानेवाले शिक्षकों का नाम और पद के साथ एक वेज रहे।

"ख" धार्मिक शिक्षा देने का समय :- निर्णय लिया गया कि सभी विद्यालयों में 9.15 बजे से 9.45 बजे तक धार्मिक शिक्षा दी जाये।

"ग" एक "समलेम" बनाया जाये जिसका "मोटो" ईश्वर का भय मानना सुख का आरम्भ है, रहे। "समलेम" के लीचे विद्यालय का नाम अंकित रहे। और बीच में क्रूस का चिन्ह प्रकाश देता हुआ रहे।

पी. टी. ओ.

7. अन्य विषय :- एडुकेशन ऑफिसर का विषय :- कली सिया स्तर पर एडुकेशन ऑफिसर की आवश्यकता महसूस की गई। श्री एम. पी. कोनगाड़ी एडुकेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे, इसकी रिपोर्ट दी गई। विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय लिया गया कि एडुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति विषय की जानकारी के. एस. एस. कार्यालय से लेने के बाद ही एडुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति - विषय पर सोच-विचार किया जाये।

8. अंतिम प्रथना :- पाट्टी. आई. की कार्यवाही समाप्त की गई।

किड़ो की अगुवाई में प्रथना कर शिक्षा पर्षद

रीड एण्ड कनफर्म्ड

एस. डी/- रेभ. सी. एस. आर तोपनो  
प्रमुख अध्यक्ष.

18-1-92

श्री. जेन सुलेमान तोपनो  
सेक्रेटरी,  
बोर्ड ऑफ एडुकेशन

18-1-92



THE MEDICAL BOARD MEETING G.E.L. CHURCH WAS  
HELD ON 19-1-1992

---

It was started by singing Hyn. No. 149 and gospel reading was from gospel according to St. Mathew chapter 21- verse 21-29 by Pramukh Adhyaksh C.S.R. Topno.

Attendance :

1. Medical Board Chairman - Dr. A. Minz
2. Mr. G. Tiru - Assam Anchal
3. Mr. V.M. Barla - Assam Anchal
4. Dr. W. Horo - Orissa Anchal
5. Rev. S.K. Jojo - Orissa Anchal
6. Rev. N. Surin - Madhya Anchal
7. Mr. N. Surin - S.E. Anchal
8. Mr. M.D. Bage (Visitor) Orissa Anchal

Before meeting - Pramukh Adhyaksh gave short introduction of board members, came from different anchals.

Chairman of the board introduced the agenda to be kept before meeting.

Agenda No. 1

In future the noted to be sent to all board members along with the agenda to be kept in the meeting in time.

Agenda No. 2

K.S.S. is requested to open new dispensary in other anchal where there is no dispensaries.

Agenda No. 3

K.S.S. should send sponcers candidates keeping in view for doctors and nursing training.

Agenda No. 4

Amgaon hospital be upgraded and step to be taken to convert into nursing training centre.

contd.....P/2.

Other Matters -

Purnapani Dispensary's matter - K.S.S. is requested to call for the complete report regarding staff, present administration building and land and step to be taken by K.S.S. on above important matters.

Meeting was closed with short prayer by Rev. S.K. Jojo.

Dr. A. Minz  
19-1-92  
Chairman, Medical Board

Rev. N. Surin  
19-1-92  
Secretary Medical Board

### बोर्ड ऑफ हाईयर एडुकेशन

आज दिनांक 18-1-1992 को बोर्ड ऑफ हाईयर एडुकेशन की बैठक साक्षी वाणी 162 के साथ एक छोटी प्रथना के साथ प्रारम्भ किया गया जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे ।

1. प्रो. पी. सी. होरो
2. श्री. जी. तिडू
3. रेभ. एस. के. जोजो
4. श्री. भी. एम. बारला
5. डा. श्रीमती नेलन संग्रा
6. श्री. एस. बागे

6 सदस्य उपस्थित हैं अतः चेयरमेन प्रो. पी. सी. होरो ने बैठक को वैध ठहराया ।

प्रो. एस. केरकेटा , सचिव की अनुपस्थिति में सर्व सम्मति से आज के लिये श्री. सुगड़ बागे रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी चुने गये ।

सर्व सम्मति से तय किया गया कि सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य अगले बैठक के पहले अपने संस्था का प्रतिवेदन के. एस. एस. सचिव के पास समर्पित करेंगे ।

बोर्ड के सदस्य समय निकाल कर संभव हो तो शिक्षण संस्थाओं का मुलाहिजा करेंगे ।

बोर्ड में और कार्य क्रम नहीं होने के कारण बैठक समाप्त की गई । श्रीमती. संग्रा की अनुवाइ में छोटी प्रथना के साथ सभा का अन्त हुआ ।

रीड एण्ड कनफर्मड  
एस/डी - पी. सी. होरो  
18-1-92

रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी  
एस/डी- एस. बागे  
18-1-92



To The  
Miss A. Turkey

Cashier K.S.S. G.E.L. Church  
in Chhotamagpur & Assam

महाशय, आप को मेरा धीबुसहाय।

मेरे आप को खत देने की अभिप्राय  
यह है कि, दिसम्बर ६ से मेरा पेंशन रुपैया  
अब तक नहीं पाया है। देरी होने का कारण  
यही है, सो आप कृपा करके जनाईए,  
अतः जल्दी भेजने की कृपा करें। दोमहिने  
को एक साथ भेज दीजिये। क्योंकि मेरा  
दुख अति घोर है। दवा का बहुत जरूरत है।  
सो मेरी दीन अजी, कृपा करके ग्रहण कीजिये।

vill. Bihabari  
P.O. Teli Tilaimal  
Dist Sambalpur  
Orissa  
via Kuchinda  
Pim. 768222,  
Date 30-1-92.

आप का विश्वस्त—  
Cate. Simon Dangu.

N.B. अवश्य इस का उत्तर देने  
की कृपा करें।

पत्र काट कर खोलें TO OPEN CUT HERE

अन्तर्राष्ट्रीय पत्र कार्ड  
INLAND LETTER CARD



To The  
Miss A. Tenkey  
Cobbier K.S.S. G.E.H. Church  
Jm Chhotanagarpur ASSAM.  
at P.O. Rancho  
Bihar.  
दिन PIN 

--	--	--	--	--	--

पत्र काट कर खोलें FIRST FOLD

तीसरा मोड़ THIRD FOLD

इस पत्र के भीतर कुछ न लिखें NO ENCLOSURES ALLOWED  
पत्र में दिन कोड लिखें WRITE PIN CODE IN ADDRESS  
पत्रक का नाम और पता : — SENDER'S NAME AND ADDRESS : —

Cate. Steiner  
Bikaner

दिन PIN 

7	6	8	2	2	2
---	---	---	---	---	---

दूसरा मोड़ SECOND FOLD

768222

सेवा में,

प्रमुख अध्यक्ष  
जी. ई. एल. चर्च  
रांची।

महाशय,

आप को सूचित किया जाता है कि  
पाद्री जोहन डांग का देहान्त 19-1-92 को हो  
गया है। मैं स्वर्गीय पाद्री जोहन डांग की  
धर्म - पत्नी श्रीमती रुलिषा डांग आप से  
अर्ज करती हूँ - कि जनवरी का पेंशन मुझे  
दिया जाय।

अतः आप से निवेदन है कि मेरी  
शारीरिक कमजोरी के कारण मेरी पूरी  
सराई डांग के हाथ में दिया जाय।

अन्यवाद।

श्रीमती रुलिषा डांग

ता. 27-9-82 ई.

आप की विश्वासी  
श्रीमती रुलिषा डांग  
जी. ई. एल. चर्च  
कोरडेगा।

Account  
Section  
Pension  
Rev. J. D. Chatterjee  
month of January 1992  
may kindly be paid  
to Mrs. Sarani Dasgupta

5/2/92